

BastarNet OFC
Project
CHiPS

44 Points Check List

Division-Bastar Division

Proposal Number-FP/CG/Others/27423/2017

वन संरक्षण अधिनियम – 1980

के अंतर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों हेतु आवश्यक चेक लिस्ट

क्रं.	अभिलेख का विवरण	पृष्ठ संख्या	रिमार्क
	GOI (MOEF) से संबंधित अभिलेख		
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र		
2.	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)		
3.	वन क्षेत्र विवरण		
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण		
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर		
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप।		
7.	प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव। (भाग-1,2,3)		
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप।		
9.	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र। (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी, देय होगी) नए यूनियन बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली के बचत खातों का विवरण संलग्न है।		
10.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र		
11.	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (जिन प्रकरण में लागू न हो उसके भारत सरकार का परिपत्र लगाकर उल्लेख करें) सिंचाई के प्रकरण में 10,000 है. तक मे राज्य पर्यावरण प्रदूषण मण्डल से स्वीकृति (भारत सरकार, पर्यावरण एवं मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006) इससे अधिक में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से लिया जाना आवश्यक है।		
12.	वृक्ष विदोहन विवरण एवं वृक्षों (प्रपत्र – अ एवं ब में)		
13.	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस		
14.	चयनित गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि (पांचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारियों का हस्तांतरण आदेश)– राजस्व वन क्षेत्र (संलग्न प्रपत्र में अधिसूचना मय नक्शा प्रस्ताव तथा 3 प्रति में पृथक से वन संरक्षण के हस्ताक्षर एवं सील सहित आवेगा)		
15.	गैर वन क्षेत्र के आस – पास क्षेत्र का नक्शा		
16.	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25% वार्षिक वृद्धि के साथ वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, देशांश, प्रजाति विवरण सहित) जो असिंचित क्षेत्र चयनित होगा उसका वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र पृथक से आवेगा।		
17.	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र		
18.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण		
19.	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण		
20.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही		
21.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र		
22.	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान		
23.	रिक्लेमेशन प्लान		
24.	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माईनिंग प्रकरण में)		
25.	व्यवस्थापन प्लान		

26.	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा।		
27.	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र		
28.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ- 5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)		
29.	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे, में)		
30.	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे, में		
31.	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में		
32.	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ- 5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)		
33.	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)		
34.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रं. F.No.11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009 ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव (Resolution) आवश्यक रूप से संलग्न करें		
35.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रं. भू-प्र/1317 दिनांक 25.05.2007)		
36.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्यासा मूल्य जमा करने का वचन पत्र।		
37.	Clearance under FC Act, 1980: Deposition Of Funds With The Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2 nd stage Clearance. (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 7-1/2004(CAMPA) Meeting 3068 दिनांक 24.05.2011		
38.	"A detailed note on soil productivity or the lack of it"(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC013/2008-BHO/357 दिनांक 24.02.2010)		
39.	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र।(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No. 2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011		
40.	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non - forestry purposes under the forest (conservation) Act 1980- Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No. 11-9/1998-FC दिनांक 04.01.2011		
	राज्य शासन से संबंधित अभिलेख		
41.	पंजीयन क्रमांक- पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छ.ग. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009)		
42.	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में)		
43.	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दुसरे स्थल तक टावर ले जाने का		

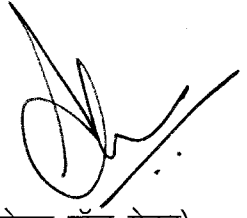
	मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-CHC 022/2010-BHO/934 दिनांक 4.05.2010)		
44.	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण		
	आन लाईन एंट्री की चेक लिस्ट		

आवेदक विभाग का मांग पत्र

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर वनमंडल के अंतर्गत. बस्तर Division में लगभग 161.110 कि.मी. लम्बाई पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 0.077 रकबा 0.077 हेक्टर है, आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1070पी, 1086पी, 1427पी, 1428पी, 1334पी, 1333पी, 1932पी, 1944पी, 1959, 1946पी, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 2029, 2031, 2032, 2034, 2024, 1673पी, 1672पी, एवं 1670पी रकबा 1.368 है, राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 210, 216, 371, 356, 195, 196, 299, 300, 304, 773, 760, 746, 747, 750, 557, 616, 617, 10, 5, 6, 7, 382, 3, 901, 1, 815, 817, 818, 822, 784, 759, 731, 701, 696, 683, 673, 140, 137, 225, 224, 58 एवं 46 रकबा 0.274 हेक्टर हैं, नेशनल पार्क वनभूमि खसरा क्रमांक 89 एवं 165 रकबा 0.295 हेक्टर है, रकबा आवश्यक है। प्रस्तावित ओ.एफ.सी. लाइन की कुल लम्बाई 161.110 कि.मी. में से वनभूमि की लम्बाई 44.750 कि.मी., चौड़ाई 0.45 मी. एवं गहराई 1.65 मी. है। प्रस्तावित मार्ग प्रारंभिक निर्देशांक(19°19'38.695"N, 81°50'7.761"E,) से अंतिम निर्देशांक (18°58'2-452"N, 81°29'53.354"E,) तक है।

इस प्रकार वन संरक्षण 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु बस्तर Division में कुल 44.750 कि.मी. एवं कुल रकबा 2.014 है, गैर वानिकी कार्य हेतु ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए मांग की गई है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)


(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

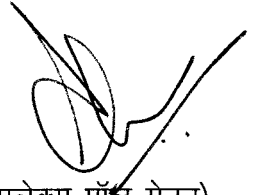
Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Promotion Cell (CHIPS)
Raipur, Chhattisgarh

प्रपत्र -1

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत नवीन प्रस्तावों के

अभिस्वीकृति हेतु प्रमाण पत्र

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर वनमंडल के अंतर्गत वन संरक्षण 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु बस्तर **Division** में कुल 44.750 कि.मी. तक कुल रकबा 2.014 है, गैर वानिकी कार्य हेतु ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए मांग की गई है। वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव दिनांक 09/08/2017 प्राप्त हुआ एवं इस प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/Others/27423/2017 दिनांक 04/08/2017 है। आवेदक से पंजीयन शुल्क रु. 6000 की राशि बैंक ड्राफ्ट क्रमांक 15453 दिनांक 07/20/2017 है। आवेदक प्रस्संकरण (प्रोसेसिंग) शुल्क रु. 18000 बैंक ड्राफ्ट क्रमांक 15452 दिनांक 07/20/2017 कुल राशि 24000 पत्र क्रमांक भू-प्रबध/विविध/एल.एम-115-695-/2463 दिनांक 09/08/2017 को संबंधित वन मण्डलाधिकारी बस्तर Division (नोडल अधिकारी) को जमा कर दिया गया है।



(एलेक्स पॉल मेनन)

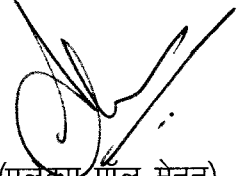
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Promotion Society (CHIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

वन क्षेत्र का विवरण

पेज क्रमांक में संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)


(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Promotion Society (CHIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

गैर वन क्षेत्र का विवरण

इस परियोजना में गैर वन क्षेत्र निरंक है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

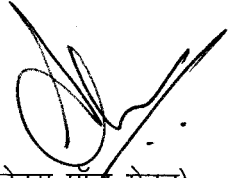

(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Promotion Society (CHIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का
मूल टापोशीट स्केल 1:50000पर

पेज क्रमांक में संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)


(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Promotion Society (CIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

वनक्षेत्र का इंडेस्क मैप

पेज क्रमांक में संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Promotion Society (CHIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

FORM-IV

**राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व
मंजूरी लेने प्रारूप**

1.	परियोजना ब्यौरे :-	
	1. उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है-	छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर डीवीजन में 2.014 हेक्टेयर में ओ. एफ.सी लाईन बिछाने हेतु
	2. अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रज्ञपत किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो)-	आरक्षित वन - 1.368 संरक्षित वन - 0.077 ऑरेज एरिया - राजस्व वनभूमि - 0.274 कुल 2.014 हेक्टेयर।
	3. परियोजना की कुल लागत	291 लाख
	4. परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिए जिन वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाए -	अन्य उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण वनभूमि का आवश्यकता है।
	5. वित्तीय तथा सामाजिक लाभ -	जन कल्याण
	6. कुल लाभान्वित होने वाली आबादी -	सम्पूर्ण बस्तर संभाग
	7. सृजित रोजगार	आवश्यकता अनुसार
2.	परियोजना स्कीम का स्थान :-	बस्तर डीवीजन
	1. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश -	छत्तीसगढ़
	2. जिला -	बस्तर
	3. वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट -	संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 0.077 रकबा 0.904 हेक्टर है, आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1070पी, 1086पी, 1427पी, 1428पी, 1334पी, 1333पी, 1932पी, 1944पी, 1959, 1946पी, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 2029,

		2031,2032,2034,2024,1673पी, 1672पी, एवं 1670पी रकबा 1.368 है,राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 210, 216, 371 ,356, 195, 196, 299,300, 304, 773 ,760 ,746, 747, 750, 557, 616, 617, 10, 5, 6, 7,382, 3, 901, 1, 815, 817, 818, 822, 784, 759, 731, 701, 696,683, 673, 140, 137, 225, 224, 58 एव 46 रकबा 0.274 हेक्टर हैं,नेशनल पार्क वनभूमि खसरा क्रमांक 89 एव 165 रकबा 0.295 हेक्टर हैं
3.	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा –	आरक्षित वन – 1.368 संरक्षित वन – 0.077 नेशनल पार्क – 0.295 राजस्व वनभूमि – 0.274 कुल 2.014 हेक्टर।
4.	शामिल वनभूमि का ब्यौरा –	
	1. वन की वैधानिक स्थिति (नामत: आरक्षित/सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) –	आरक्षित वन – 1.368 संरक्षित वन – 0.077 ऑरेज एरिया – 0.295 राजस्व वनभूमि – 0.274 कुल 2.014 हेक्टर।
	2. क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा –	संलग्न है।
	3. वनस्पति की सघनता	
	4. वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार –	वृक्ष विदोहन नहीं होना है।
	5. भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं –	नहीं है।
	6. क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें	नहीं है।

	शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वनजीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें)	
	7. विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना/स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा –	ओ.एफ.सी. केबल को भूमिगत बिछाना है। 2.014 हेक्टेयर भूमि का उपयोग की जानी है।
	8. क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियां –	आवश्यक नहीं हैं।
	9. क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है –	आवश्यक नहीं हैं।
	10. प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	आवश्यक नहीं हैं।
5.	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा	आवश्यक नहीं हैं।
	1. विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	आवश्यक नहीं हैं।
	2. विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या –	आवश्यक नहीं हैं।
	3. विस्तृत पुनर्वास योजना –	आवश्यक नहीं हैं।
6.	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे –	
	1. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या का आकार –	शासन द्वारा छूट प्रदान की गई है।
	2. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र –	आवश्यक नहीं हैं।
	3. रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढांचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम –	निरंक
	4. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तिय परिचय–	आवश्यक नहीं हैं।
	5. वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्त के बारे में और प्रबंध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता.	आवश्यक नहीं हैं।

	अकिये जाये जो कि उप वन संरक्षण की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हों)	
	6. क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र –	नहीं हैं।

	7. पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल परिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये – 1. परिषण लाइन की कुल लम्बाई –	आवश्यक नहीं हैं। नहीं हैं।
	2. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाले लाइन की लम्बाई –	नहीं हैं।
	3. मार्ग का अधिकार	नहीं हैं।
	4. निर्मित किये जानेह वाले टावरों की संख्या –	नहीं हैं।
	5. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या –	नहीं हैं।
	6. परिषण टावरों की उंचाई –	नहीं हैं।
7.	सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए –	नहीं हैं।
	1. कुल आवाह क्षेत्र –	नहीं हैं।
	2. कुल कमानु क्षेत्र –	नहीं हैं।
	3. कुल जलाशय स्तर –	नहीं हैं।
	4. उच्च बाढ़ स्तर –	नहीं हैं।
	5. न्यूनतम प्राप्ति स्तर –	नहीं हैं।
	6. परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागृह भूमि,मावन आबादी तथा अन्य) –	नहीं हैं।
	7. उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र –	नहीं हैं।
	8. पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र –	नहीं हैं।
	9. पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	नहीं हैं।

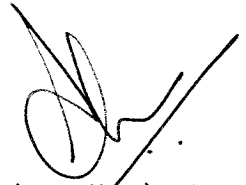
	10. पूर्ण जलाशय का स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	नहीं हैं।
	11. न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र –	नहीं हैं।
	12. विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना –	नहीं हैं।
	13. कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में –	नहीं हैं।
8.	सड़क/रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे –	नहीं हैं।
9.	केवल सड़क/लाईनों के प्रस्तावों के लिये –	नहीं हैं।
	1. पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	नहीं हैं।
	2. सड़क की कुल लम्बाई –	नहीं हैं।
	3. पहले बनाई जा चूँकि सड़क की कुल लम्बाई –	नहीं हैं।
10.	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)	नहीं हैं।
	1. कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	नहीं हैं।
	2. प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि –	नहीं हैं।
	3. वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार –	नहीं हैं।
	4. खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	नहीं हैं।
	5. खनन कार्य की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	नहीं हैं।
	6. चरणबद्ध सुधार योजना –	नहीं हैं।
	7. जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान –	नहीं हैं।
	8. पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें –	नहीं हैं।
	9. नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या –	नहीं हैं।
	10. निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल –	नहीं हैं।
	क. खनन –	नहीं हैं।
	ख. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन –	नहीं हैं।

	ग. अधिभार को जमा करना –	नहीं हैं।
	घ. औजारों एवं मशीनों का भण्डारन –	नहीं हैं।
	ङ. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	नहीं हैं।
	च. शहर, आवास, कालोनियां –	नहीं हैं।
	छ. सड़क/रेल्वे मार्ग/रज्जु मार्ग का निर्माण –	नहीं हैं।
	ज. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	नहीं हैं।
	11. परियोजना के तहत उपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरु/स्थापित न किये जाने के क्या कारण है—	आवश्यक नहीं हैं।
	12. खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	आवश्यक नहीं हैं।
	13. बारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दूरी –	आवश्यक नहीं हैं।
	14. पुनः प्रयोग के लिये उपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया)	आवश्यक नहीं हैं।
	15. भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा वनस्पतियों पर उसका प्रभाव –	आवश्यक नहीं हैं।
11.	लागत लाभ विश्लेषण –	आवश्यक नहीं हैं।
12.	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये हैं— (हां/नहीं)	आवश्यक नहीं हैं।
13.	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया गया है, (हां/नहीं)	नहीं।
14.	काई अन्य सूचना –	नहीं हैं।
15.	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे –	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज

16.	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात्	
	1. इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी और अन्य उत्पाद –	इस प्रकरण में लागू नहीं हैं।
	2. क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	इस प्रकरण में लागू नहीं हैं।
	3. निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव –	इस प्रकरण में लागू नहीं हैं।
	(क) ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति	इस प्रकरण में लागू नहीं हैं।
	(ख) आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका –	इस प्रकरण में लागू नहीं हैं।
	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें –	

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।



(ऐलेक्स पॉल मेनन)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

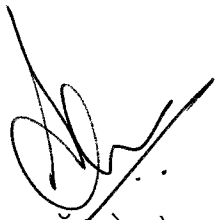
Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Promotion Society (CIL - 7)
Civil Lines, Raipur - 492001

प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर द्वारा बस्तर संभाग के सभी जिलों में 836 कि.मी. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य किया जा रहा है यह पद्धति रिंग टोपोलॉजी में है जिससे अबाधित रूप से इंटरनेट और मोबाईल की आधुनिक सुविधा प्रदान किया जा सकता है। वर्तमान में उपलब्ध सभी आधुनिक दूरसंचार सुविधायें (एस.टी.डी.इंटरनेट,फैक्स,ई-मेल आदि) का भरोसेमंद मिडिया "ऑप्टिकल फायबर केबल" हैं ओ.एफ.सी. बिछायी गई है, वह छोटी से छोटी जगह भी आधुनिकतम दूरसंचार सेवाओं का लाभ ले रही है।

इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बस्तर डिविजन में केबल बिछाना है ताकि इस क्षेत्र पर पड़ने वाले सभी आबादी क्षेत्रों को यह सुविधा मिल सके। इस मिडिया के आने पर सभी संबंधित क्षेत्र देश के हर हिस्से से जुड़ जाएंगे, तथा देश के किसी भी हिस्से से संबंधित क्षेत्र में संचार सम्भव हो जायेगा। वस्तुतः सम्पूर्ण बस्तर संभाग इससे लाभान्वित होगा।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

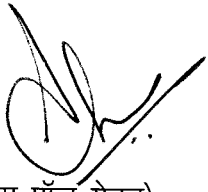

(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Promotion Society (CHIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का चयन पत्र

इस परियोजना हेतु वनसंरक्षण अधिनियम अंतर्गत 1980 पैरा 3.2 (8) के अनुसार कुछ प्रस्तावों वैकल्पिक वृक्षारोपण आवश्यक नहीं हैं, विवरण संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)


(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Ghettigarh Infotech
Promotion Society (Un. Sec.)
Civil Lines, Raipur - 492001

3.2 Land for Compensatory Afforestation. –

- (i) Compensatory afforestation shall be done over equivalent area of non-forest land.

Clarification:- As a matter of pragmatism, the revenue lands/zudpi jungle/ Chhote/ Bade jhar ka jungle/ jungle-jhari land/civil – soyam lands and all other such categories of land, on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, shall be considered for the purpose of compensatory afforestation provided that lands on which compensatory afforestation is proposed shall be notified as FR under the Indian Forest Act, 1927.

- (ii) *As far as possible, the non-forest land for compensatory afforestation should be identified contiguous to or in the proximity of Reserved Forest or Protected Forest to enable the Forest Department to effectively manage the newly planted area.*
- (iii) In the event that non-forest land of compensatory afforestation is not available in the same district, *non-forest land for compensatory afforestation may be identified anywhere else in the State/Union Territory as near as possible to the site of diversion, so as to minimise adverse impact on the micro-ecology of the area.*
- (iv) Where non-forest lands are not available or non-forest land is available in less extent to the forest area being diverted, compensatory afforestation may be carried out over degraded forest land being diverted and available nonforest land, as the case may be.
- (v) The non-availability of suitable non-forest land for compensatory afforestation in the entire State / Union Territory would be accepted by the Central Government only on the Certificate from the Chief Secretary to the State/Union Territory Government to that effect.
- (vi) An exception to 3.2(i) above, compensatory afforestation may be raised over degraded forest land twice in extent of the forest area being diverted/deserved in respect of following types of proposals:
- (a) For extraction of minor minerals from the river beds. (However, if forest area to be diverted is above 500 hectares, compensatory afforestation over equivalent area of degraded forest shall be required to be done instead of twice the area being diverted subject to a minimum of 1000 hectare compensatory afforestation).
- (b) For construction of link roads, small water works, minor irrigation works, school building, dispensaries, hospital, tiny rural industrial sheds of the Government or any other similar work excluding mining and encroachment cases, which directly

benefit the people of the – in hill district having forest area exceeding 50% of the total geographical area, provided diversion of forest area does not exceed 20 hectares.

- (c) For laying of transmission lines upto 220 KV.
 - (d) For mulberry plantation undertaken for silk-worm rearing without any felling of existing trees.
 - (e) For diversion of linear or 'strip' plantation declared as protected forest along the road/ rail/ canal sides for widening or expansion of road/ rail/ canal.
 - (f) For laying of telephone/optical fibre lines.
- (vii) The field firing ranges, which are used temporarily by the defence establishments for arms practice, comprises, of safety zone encompassing the field firing range and danger area/ impact zone. Keeping in view that the impact area is only a small portion of the entire firing range and as an exception to 3.2 (i) above, compensatory afforestation may be raised over equivalent degraded forest land of the forest area being diverted for impact zone of the field firing range.

(viii) No compensatory afforestation shall be insisted upon in respect of the following:-

- (a) For clearing of naturally grown trees in forest land or in portion thereof for the purpose of using it for reforestation.
- (b) **Proposals involving diversion of forest land upto one hectare.** (However, in such cases, plantation of ten times the number of trees likely to be felled will have to be carried out by way of compensatory afforestation or any number of trees specified in the order).
- (c) For underground mining in forest land below 3 metres. (However, in respect of forest area required for surface right, compensatory afforestation shall be required as per relevant provisions).
- (d) Cases of renewal of mining lease, for the forest area already broken/used for mining, dumping or over burden, construction of road, ropeways, buildings, etc. For the balance area, compensatory afforestation shall be required to be done as stipulated, provided that no compensatory afforestation had been stipulated and done in respect of this area at the time of grant/renewal of lease earlier.

न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाणपत्र

CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society Raipur C.G. द्वारा ओ एफ सी. लाईन बिछाने हेतु बस्तर वनमंडल के अतर्गत प्रस्तावित वनभूमि रकबा 2.014 हेक्टर मांग की गई भूमि न्यूनतम हैं।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

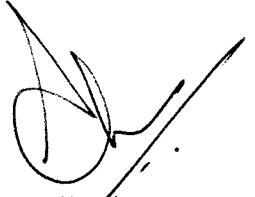
Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Promotion Society (C.I.P.S.)
Civil Lines, Raipur - 492001

पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाणपत्र

पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाणपत्र

इस योजना में पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतएव पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारत का राजपत्र भाग -II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) संख्या 1067 नई दिल्ली वृहस्पतिवार सितम्बर 14,2006/भाद्र 23,1928 की छायाप्रति संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Promotion Society (CILPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 1067
067]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2006 भाद्र 23, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BIHADRA 23, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 गिात, 2006

का.आ. 1533(अ).—केंद्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार या संघीय राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से अर्जित किए जाने वाले राज या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर्यावरण समायोजन निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की भाग 3 की उपधारा (3) के अधीन संघ मंत्रिमंडल द्वारा 18 मई, 2006 को अनुमोदित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और अधिसूचना के विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुसार जन हक भूय पर्यावरणीय अनापत्ति अधिनियम नहीं हो जाती है, भारत के किसी भाग में, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों पर या इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा उपर्युक्त उक्त सक्षम पर्यावरणीय समायोजन पर विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आपुनिकीकरण पर कतिपय निर्बंधन और प्रतिबंध निर्धारित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रास्ताविक अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ. सं. 1324(अ), तारीख 15 सितंबर 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिन्हें उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्निहित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 15 सितंबर 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त उल्लिखित प्रास्ताविक अधिसूचना के तहत में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक रूप से विचार कर लिया है ।

(28)

अनुसूची

(पंरा 2 और 7 देखें)

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं का शिवायकतापों की सूची

क्र. सं.	परियोजना का क्रियाकलाप	अधस्तात सहित प्रयोग		शर्तें, यदि कोई हों
		क	ख	
1	खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्काशन और विद्युत उत्पादन विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)			
1	2	3	4	5
1(क)	खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र का ≥ 50 हे० चिसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान दिए बिना एन्टस्टज खनन	< 50 हे०/रेयर ≥ 5 हे०/रेयर खनन पट्टा क्षेत्र	साधारण शर्तें लागू होंगी टिप्पण खनिज पदार्थों के पूर्वक्षण (जिसमें क्षितिज न हो) को पूरा दी गई है वर्यंत कि कारितायक सावधान के लिए पूरा वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है।
1(ख)	अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन	सभी परियोजनाएं		टिप्पण सार खोज सावधान (जिसमें क्षितिज न हो) को पूरा दी गई है वर्यंत कि वास्तविक सावधान के लिए पूरा वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है।
1(ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) ≥ 50 मे०वा० जल विद्युत उत्पादन (ii) $\geq 10,000$ हे०/रेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	(i) $< 50 \geq 25$ मे०वा० जल विद्युत उत्पादन (ii) $< 10,000$ हे०/रेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	साधारण शर्तें लागू होंगी
1(घ)	तापीय विद्युत संयंत्र	(गोयला लिग्नाइट और मैथ्या गैस आधारित) ≥ 500 मे.वा. ≥ 50 मे.वा. (पेटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)	(गोयला/लिग्नाइट/मैथ्या एवं गैस आधारित) < 500 मे.वा. (पेटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन) < 50 मे.वा ≥ 5 मे.वा	साधारण शर्तें लागू होंगी
1(ङ)	आणविक विद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं		
2	प्राथमिक प्रसंस्करण			
2(क)	गोयला धोवनशालाएं	≥ 1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	< 1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्तें लागू होंगी। (यदि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का मूल्यांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए)

附錄 2

[illegible]

7.क.	पटना विदेहा	2.5 मिलियन रु. वार्षिक सड़क की उपार्ज-मार्गों की क्षमता निर्धारण द्वारा (मि.मि.)	2.5 मिलियन रु. वार्षिक मार्गों की क्षमता निर्धारण द्वारा (मि.मि.)	संयोजक एवं लागू होगी
7.ख.	संयोजक	1. 100 मिलीमीटर सड़क की क्षमता 2. 30 मिलीमीटर से कम की सड़क की क्षमता की क्षमता निर्धारण मार्ग की क्षमता और क्षमता निर्धारण क्षमता 20 मीटर से कम की क्षमता क्षमता 20 मीटर से कम की क्षमता	1. 100 मिलीमीटर सड़क की क्षमता 2. 30 मिलीमीटर से कम की सड़क की क्षमता की क्षमता निर्धारण मार्ग की क्षमता और क्षमता निर्धारण क्षमता 20 मीटर से कम की क्षमता क्षमता 20 मीटर से कम की क्षमता	संयोजक एवं लागू होगी
7.ग.	आंध्र प्रदेश राज्य	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी
7.घ.	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी
7.ङ.	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी
8.	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी
8.क.	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी
8.ख.	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी	संयोजक एवं लागू होगी

६१५

साधनार्थं रतं (सा.र.)

[illegible]

विनिर्दिष्ट शर्त (वि.श.)

[illegible]

क्र. ३५६/२००२-आह. ११०
ना. उन्मोह, संवत् २०५०

वृक्ष विदोहन का विवरण

CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society Raipur C.G. द्वारा ओ एफ सी. लाईन बिछाने हेतु बस्तर वनमंडल के अतर्गत प्रस्तावित वनभूमि रकबा 2.014 हेक्टर में कोई वृक्ष का विदोहन नहीं होना है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Promotion Society (CHIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

काष्ट/बेनिफिट एनालिसिस

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर डिविजन में 44.750 कि.मी. लंबाई में कुल 2.014 हैं, रकबा वन भूमि पर इंटरनेट/टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु मुख्य सड़क के समान्तर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त प्रस्ताव हेतु काष्ट/बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



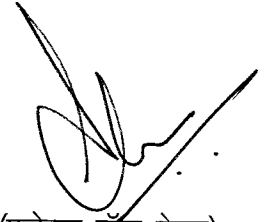
(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Promotion Society (CILPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

चयनित गैर वनक्षेत्र/निजि भूमि,राजस्व वनक्षेत्र का विवरण

प्रस्तावित परियोजना के बदले गैर वनक्षेत्र चयनित नहीं की गई है। अतः इसे निरंक मानी जावें।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Promotion Society (CIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा

संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)


(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
District Office (Forest)
Civil Lines, Raipur - 492001

स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना
(षासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिषत वार्षिक वृद्धि के)

आवश्यकता नहीं हैं।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



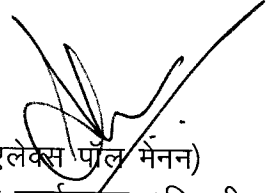
(एलेक्स. पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Promotion Society (CIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र

आवश्यकता नहीं हैं।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

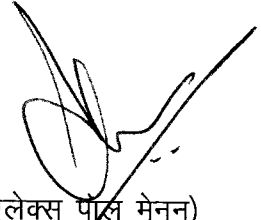

(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Promotion Society (CIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

अधिनियम उल्लंघन अन्तर्गत कार्यों का विवरण

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)


(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Promotion Society (CIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों
एवं कर्मचारियों का विवरण

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन के लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



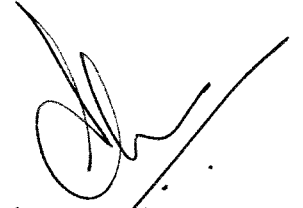
(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Forest
Conservation Society (P.O.)
Civil Lines, Raipur - 492001

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही

बस्तर वनमंडल के अतर्गत इस परियोजना हेतु वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Sahitya Akademi
Civil Lines, Raipur - 492001

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र

आवश्यकता नहीं हैं।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

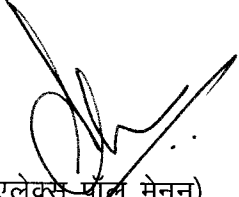

(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Oshattigerh Infotech
Innovation Centre (Oshattigerh)
Civil Lines, Raipur - 492001

कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान

कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)


(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Foundation Society (Pvt. Ltd.)
Civil Lines, Raipur - 492001

रिक्लेमेशन प्लान

बस्तर वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Private Limited (CIL-IT)
Civil Lines, Raipur - 492001

माईनिंग प्लान आई.बी.एम. नागपुर द्वारा अनुमोदित
(केवल खनन प्रकरण में)

बस्तर वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु आई.बी.एम. नागपुर द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Promotion Society (CIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

व्यवस्थापन प्लान

व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)


(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Private Limited
Civil Lines, Raipur - 491001

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)

बस्तर वनमंडल के अर्तगत इस परियोजना से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
(Bhattiagarh Infotech
Foundation Centre)
Civil Lines, Raipur - 492001

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्रा अधिसूचना अनुसार)

भाग - 1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1.	परियोजना विवरण :-	
1.	अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोन सोसायटी रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर डिविजन में भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु 2.014 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता हैं।
2.	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न हैं।
3.	परियोजना की लागत	291 लाख
4.	वन क्षेत्रों में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने से बेहतर आधुनिक सुविधा प्राप्त हो जायेगे।
5.	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	आवश्यक नहीं हैं।
6.	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है	स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।	भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु आरक्षित वन - 1.368 संरक्षित वन - 0.077 नेशनल पार्क -0.295 राजस्व वनभूमि - 0.274 कुल 2.014 हेक्टेयर, अपेक्षित है।
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	निरंक
I.	परिवार की संख्या।	निरंक
II.	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	निरंक
III.	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	निरंक
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक	नहीं है।

	है ? (हां/नहीं)	
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुस्क्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्रा आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	आवश्यक नहीं हैं।
6.	निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न है।

तिथि :-

स्थान :-

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक संख्या —
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाये)



(ऐलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Promotion Society (CIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्रा अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

i. राज्य/संघशासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
ii. जिला	. जगदलपुर
iii. वन प्रभाग	 बस्तर
iv. वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	..2.014..... हे.
(V). वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 0.077 रकबा 0.904 हेक्टर है, आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1070पी, 1086पी, 1427पी, 1428पी, 1334पी, 1333पी, 1932पी, 1944पी, 1959, 1946पी, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 2029, 2031, 2032, 2034, 2024, 1673पी, 1672पी, एवं 1670पी रकबा 1.368 है, राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 210, 216, 371, 356, 195, 196, 299, 300, 304, 773, 760, 746, 747, 750, 557, 616, 617, 10, 5, 6, 7, 382, 3, 901, 1, 815, 817, 818, 822, 784, 759, 731, 701, 696, 683, 673, 140, 137, 225, 224, 58 एवं 46 रकबा 0.274 हेक्टर हैं, नेशनल पार्क वनभूमि खसरा क्रमांक 89 एवं 165 रकबा 0.295 हेक्टर हैं, हेक्टर आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित है।
(VI). हरियाली का घनत्व	से तक
(Vii). प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर की परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	वृक्षों का विदोहन नहीं किया जायेगा।
(Viii). भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं।

(ix). वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित स्थल वनभूमि है।
(X). क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं।
(Xi). क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विषिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(Xii). क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं।
8. प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है नहीं, तो जांचें गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- I. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। II. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए	आवश्यक नहीं हैं। आवश्यक नहीं हैं।

अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र,और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। III. रोपित की जाने वाली प्रजातियो सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एलेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। IV. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। V. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षमप्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	आवश्यक नहीं हैं। आवश्यक नहीं हैं। आवश्यक नहीं हैं।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	प्रस्तावित क्षेत्रहे. कम होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक नहीं हैं।
12. विभाग/जिला प्रोफाइल - जिले का भौगोलिक क्षेत्र - जिले का वनक्षेत्र - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	वर्ग कि.मी. आरक्षित वन –वर्ग कि.मी. संरक्षित वन – वर्ग कि.मी. असीमांकित वन –.....वर्ग कि.मी. कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना – 595.630 हे० प्र०मं०ग्रा०स०यो० गिट्टी उत्खनन ग्राम उडियापाल,डिलमिली, इरपा – 2.400हे० बी०आर०ओ० सडक चौडीकरण – 37.031 हे० सर्वेक्षण संग्रहालय निर्माण – 0.789हे० रेल लाईन निर्माण भोण्ड जलाषय पीठापुर जलाषय –7.860 हे० तारापुर जलाषय – 19.448 हे० रक्षा अनुसंधान एवं विकास– 132.598 हे० पुलिस चौकी निर्माण – 0.900 हे०

	पानी पाईप लाईन निर्माण – 25.720 हे० विद्युत लाईन निर्माण – 4.712 हे० जल विद्युत परियोजना – 19.718 हे० <u>कुल योग 858.199 हे०</u>
1980 से जिला/प्रभाग मे निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर - तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर	नहीं। नहीं। वैकल्पिक वृक्षारोपण – 5635.000 हे० आर.डी.एफ – 6200.000 हे० योग – 11835.00 हे०
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	आवेदक छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 0.077 रकबा 0.904 हेक्टर है, आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1070पी, 1086पी, 1427पी, 1428पी, 1334पी, 1333पी, 1932पी, 1944पी, 1959, 1946पी, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 2029, 2031, 2032, 2034, 2024, 1673पी, 1672पी, एवं 1670पी रकबा 1.368 है, राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 210, 216, 371, 356, 195, 196, 299, 300, 304, 773, 760, 746, 747, 750, 557, 616, 617, 10, 5, 6, 7, 382, 3, 901, 1, 815, 817, 818, 822, 784, 759, 731, 701, 696, 683, 673, 140, 137, 225, 224, 58 एवं 46 रकबा 0.274 हेक्टर हैं, नेशनल पार्क वनभूमि खसरा क्रमांक 89 एवं 165 रकबा 0.295 हेक्टर हैं, वनभूमि/राजस्व वनभूमि में आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित है।

स्थान :-

वनमण्डलाधिकारी

दिनांक :-

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु।		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर छत्तीसगढ़।		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु।		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	बस्तर डिविजन में लम्बाई लगभग 44.750 कि.मी. लम्बाई पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 0.077 रकबा 0.904 हेक्टर है, आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1070पी, 1086पी, 1427पी, 1428पी, 1334पी, 1333पी, 1932पी, 1944पी, 1959, 1946पी, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 2029, 2031, 2032, 2034, 2024, 1673पी, 1672पी, एवं 1670पी रकबा 1.368 है, राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 210, 216, 371, 356, 195, 196, 299, 300, 304, 773, 760, 746, 747, 750, 557, 616, 617, 10, 5, 6, 7, 382, 3, 901, 1, 815, 817, 818, 822, 784, 759, 731, 701, 696, 683, 673, 140, 137, 225, 224, 58 एवं 46 रकबा 0.274 हेक्टर हैं, नेशनल पार्क वनभूमि खसरा क्रमांक 89 एवं 165 रकबा 0.295 हेक्टर हैं, वनभूमि/राजस्व वनभूमि में आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित है।		
5.	वन भूमि का विस्तृत विवरण	वनखण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे.)
	(क) आरक्षित वन	बकवाड़ दरभा कोलेंग चित्रकोट भनपुरी	1070पी, 1086पी, 1427पी, 1428पी, 1334पी, 1333पी, 1932पी, 1944पी, 1959, 1946पी, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 2029, 2031, 2032, 2034, 2024, 1673पी, 1672पी, 1670पी	1.368

	(ख) संरक्षित वन	दरभा	1932पी,	0.077
	(ग) राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)	डिमरापाल बड़ेमरेन्गा तेलीमरेन्गा पपरा बड़ेअरापुर इरंडवाल रायकोट मंडवा मवलेभाटा गुर्रम	210, 216 371 ,356 195, 196 299, 300, 304, 773 ,760 ,746, 747, 750, 557, 616, 617 10, 5, 6, 7 382, 901 3, 1 815, 817, 818, 822, 784, 759, 731, 701, 696, 683, 673, 140, 137, 225, 224, 58, 46	0.274
	नेशनल पार्क	KANGERGHATI NP	89,165	0.295
		योग		2.014
6.	आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति एवं प्रकार	क्षेत्र की साईट क्वालिटी III,va एवं ivb तथा घनत्व 0.4 से 0.7 तक है।		
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	वृक्षों का विदोहन नहीं किया जायेगा।		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	अपर्याप्त।		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट	आवश्यकता नहीं हैं।		

	रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।	
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण बायेस्पेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो प्रतिवेदन करें।	नहीं हैं।
11.	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या)	आवश्यकता नहीं हैं।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं।

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है।

स्थान :-

वनमण्डलाधिकारी

दिनांक :-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

1. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है।
(हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न
करे।

.....
.....
.....
.....

2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

.....
.....
.....
.....

3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें।

.....
.....
.....
.....

स्थान :-

नाम

दिनांक :-

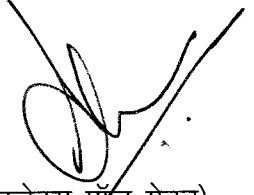
हस्ताक्षर

सरकारी मोहर

ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र

प्रस्तावित भूमि पर ऐतिहासिक महत्व का स्थल नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

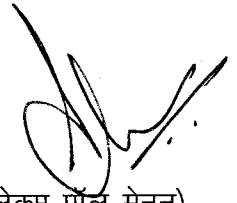

(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Education Society (CIES)
Civil Lines, Raipur - 492001

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र

इस तारतम्य में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पत्र क्रं F.No.11-09/98-FC(pt) दिनांक 28/10/2014 (उपरोक्त पत्र संलग्न है पेज नं.....) के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)


(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Innovation Society (CIS)
Civil Lines, Raipur - 492001

F. No. 11-09/98-FC (pt.)
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi - 110 001
Dated: 28th October, 2014

To

The Principal Secretary (Forests),
All State / Union Territory Governments

Sub: Diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980 - ensuring compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 03.08.2009 wherein this Ministry issued detailed guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

In consideration of representations received from Ministries in the Central Government, this Ministry after obtaining concurrence of the Ministry of Tribal Affairs informed the States and Union Territories vide letter of even number dated 5th February, 2013 that the proposals seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 for projects like construction of roads, canals, laying of pipelines/ optical fibres and transmission lines etc. where linear diversion of use of forest land in several villages are involved, unless recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities are being affected, are exempted from the requirement of obtaining consent of the concerned Gram Sabha(s) as stipulated in clause (c) read with clause (e) and clause (f) in second para of this Ministry's said letter dated 03.08.2009.

This Ministry after further examination of the matter observed that in case of plantations which were notified as "forest" on a day less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and are located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011, no forest rights are likely to be recognised, even if the process stipulated in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and the rules framed thereunder for recognition and vesting of forests rights is initiated and completed. The reasons for the same are as below:

27/11/14

- (i) As per the clause (o) of the Section 2 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, no person residing in such forests will be eligible to be recognised as Other Traditional Forest Dweller (OTFD)'.
- (ii) Such villages will therefore, not have any person belonging to both the categories, viz. Scheduled Tribes and OTFD, whose rights can only be recognized over the forest land in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. Question of recognition of forest rights on such forests will thus not arise.

Accordingly, I am directed to say that in further modification of this Ministry's said letter of even number dated 3rd August 2009, proposals seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of plantations which were notified as "forest" on a day less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and are located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011, are exempted from the requirement of initiation and completion of process for recognition and vesting of forest rights of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers as stipulated in clause (a), read with clause (d) and clause (g) in second para of this Ministry's said letter of even number dated 3rd August 2009. In such cases a certificate from the concerned District Collector to the effect that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011, will only be sufficient to meet requirement of clause (a), read with clause (d) and clause (g) in second para of this Ministry's said letter of even number dated 3rd August 2009.

This issues with approval of the Competent Authority.

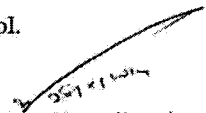
Yours faithfully,

(H.C. Chaudhary)
Director

Copy to:-

1. Prime Minister's Office (*Kind attn.:* Shri Santosh D. Vaidya, Director), North Block, New Delhi.
2. The Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
3. Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
4. Secretary, Ministry of Mines, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
5. Secretary, Ministry of Coal, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.

6. Chairman, Railways Board, Rail Bhawan, New Delhi.
7. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, Transport Bhawan, New Delhi.
8. Secretary, Ministry of Power, Government of India, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
9. Chairman, Railways Board, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
11. Principal Secretary (Forests), all State/UT Governments.
12. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
13. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.
14. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC), Government of India (GoI).
15. Joint Secretary, Impact Assessment Division, MoEFCC, GoI.
16. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in the Forest Conservation Division, MoEFCC, GoI.
17. Director, Regional Offices Headquarters Division, MoEFCC, GoI.
18. Sr. Director (Technical), NIC, MoEFCC, GoI with a request to place a copy of this letter on website of this Ministry.
19. Sr. PPS to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, GoI.
20. Sr. PPS to the Director General of Forests & Special Secretary, MoEFCC, GoI.
21. Sr. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEFCC, GoI.
22. PS to the Inspector General of Forests (Forest Conservation), MoEFCC, GoI.
23. Guard File.


(H.C. Chaudhary)
Director

जिले की कुल वनभूमि

स्थान :—

वनमण्डलाधिकारी

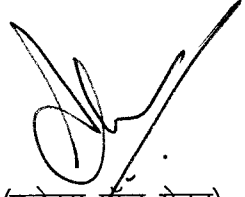
दिनांक :—

वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)

(भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक./ F.No.11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009)

इस तारतम्य में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पत्र क्रं F.No.11-09/98-FC(pt) दिनांक 28/10/2014 (उपरोक्त पत्र संलग्न है पेज नं.....) के अनुसार Linear diversion के लिए वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)


(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh Infotech
Promotion Society (CIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

F. No. 11- 09/ 98-FC (pt.)
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi - 110 001
Dated: 28th October, 2014

To

The Principal Secretary (Forests),
All State / Union Territory Governments

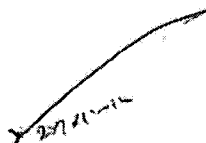
Sub: Diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980 - ensuring compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 03.08.2009 wherein this Ministry issued detailed guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

In consideration of representations received from Ministries in the Central Government, this Ministry after obtaining concurrence of the Ministry of Tribal Affairs informed the States and Union Territories vide letter of even number dated 5th February, 2013 that the proposals seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 for projects like construction of roads, canals, laying of pipelines/ optical fibres and transmission lines etc. where linear diversion of use of forest land in several villages are involved, unless recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities are being affected, are exempted from the requirement of obtaining consent of the concerned Gram Sabha(s) as stipulated in clause (c) read with clause (e) and clause (f) in second para of this Ministry's said letter dated 03.08.2009.

This Ministry after further examination of the matter observed that in case of plantations which were notified as "forest" on a day less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and are located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011, no forest rights are likely to be recognised, even if the process stipulated in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and the rules framed thereunder for recognition and vesting of forests rights is initiated and completed. The reasons for the same are as below:

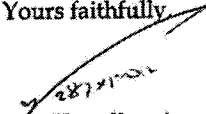

22/11/14

- (i) As per the clause (o) of the Section 2 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, no person residing in such forests will be eligible to be recognised as Other Traditional Forest Dweller (OTFD)'.
- (ii) Such villages will therefore, not have any person belonging to both the categories, viz. Scheduled Tribes and OTFD, whose rights can only be recognized over the forest land in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. Question of recognition of forest rights on such forests will thus not arise.

Accordingly, I am directed to say that in further modification of this Ministry's said letter of even number dated 3rd August 2009, proposals seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of plantations which were notified as "forest" on a day less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and are located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011, are exempted from the requirement of initiation and completion of process for recognition and vesting of forest rights of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers as stipulated in clause (a), read with clause (d) and clause (g) in second para of this Ministry's said letter of even number dated 3rd August 2009. In such cases a certificate from the concerned District Collector to the effect that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011, will only be sufficient to meet requirement of clause (a), read with clause (d) and clause (g) in second para of this Ministry's said letter of even number dated 3rd August 2009.

This issues with approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,


(H.C. Chaudhary)
Director

Copy to:-

1. Prime Minister's Office (*Kind attn.:* Shri Santosh D. Vaidya, Director), North Block, New Delhi.
2. The Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
3. Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
4. Secretary, Ministry of Mines, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
5. Secretary, Ministry of Coal, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.

6. Chairman, Railways Board, Rail Bhawan, New Delhi.
7. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, Transport Bhawan, New Delhi.
8. Secretary, Ministry of Power, Government of India, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
9. Chairman, Railways Board, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
11. Principal Secretary (Forests), all State/UT Governments.
12. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
13. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.
14. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC), Government of India (GoI).
15. Joint Secretary, Impact Assessment Division, MoEFCC, GoI.
16. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in the Forest Conservation Division, MoEFCC, GoI.
17. Director, Regional Offices Headquarters Division, MoEFCC, GoI.
18. Sr. Director (Technical), NIC, MoEFCC, GoI with a request to place a copy of this letter on website of this Ministry.
19. Sr. PPS to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, GoI.
20. Sr. PPS to the Director General of Forests & Special Secretary, MoEFCC, GoI.
21. Sr. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEFCC, GoI.
22. PS to the Inspector General of Forests (Forest Conservation), MoEFCC, GoI.
23. Guard File.


(H.C. Chaudhary)
Director

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर प्रमाण पत्र

संलग्न हैं।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

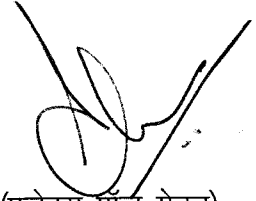

(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Promotion Society (CIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याषा मूल्य जमा करने का
वचन पत्र

इस परियोजना हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रत्याशा मूल्य की राशि हेतु छुट दी गई है। पत्र संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
CHhattisgarh infotech
Promotion Society (CHIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

**Clearance under FC Act,1980: Deposition of funds with the Ad-hoc
CAMPA Remittances to precede 2nd stage clearance**

**(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,भोपाल का पत्र क्रमांक/7-1/2004)
(CAMPA) Meeting 3068 दिनांक 12.05.2011**

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009. के अनुसार 1.000 हे. तक भूमिगत आस्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाये जाने के व्यपवर्तन प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट की गई है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)


(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Promotion Society (CIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक/एफ-7-8/2001/10-2

रायपुर दिनांक/...../2008

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/

प्रमुख सचिव/सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

.....विभाग

मंत्रालय रायपुर ।

विषय:- Hon'ble Supreme Court's orders dated 28.03.2008 and order dated 09.05.2008 in IA No. 826 in 566 and related IA's regarding the rate of the Net Present Value (NPV) of forest land.

संदर्भ:- श्री एम0के0 जिवराजका, सदस्य सचिव, केन्द्रीय सशक्त समिति का पत्र क्रमांक 1-19/सी0ई0सी0/एस0सी0/2006-पार्ट, दिनांक 05.06.2008.

—0—

३६५ (३) ६

माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 202/1995 गोदा बर्मन विरुद्ध भारत सरकार के प्रकरण में I. A. No. 826 में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है । इस प्रकरण के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमति कंचन चोपड़ा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया था । इस समिति के द्वारा पूरे भारत वर्ष के वनों को इकोलाजिकल क्लासेस में बांटकर निम्नानुसार Net present Value की दरें प्रस्तावित की है -

Eco-Value Class	Very Dense Forest	Dense Forest	Open Forest
Class I	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class II	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class III	8,87,000	8,03,000	6,26,000
Class IV	6,26,000	5,63,000	4,38,000
Class V	9,39,000	8,45,000	6,57,000
Class VI	9,91,000	8,97,000	6,99,000

निर्देशित उच्चतम न्यायालय द्वारा नई दरें लागू करने के निर्देश दिये हैं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित कार्यो हेतु वन भूमि के उपयोग होने की

पहलाधिकारी
न्यायालय वन मण्डल
रायपुर (छ.ग.)

२८/८/०८

स्थिति में प्रभावित वन भूमि को Net present Value से छूट प्रदान की है :-

Category	प्रत्याशा मूल्य से छूट प्राप्त शर्तों का विवरण
1) स्कूल 2) अस्पताल, 3) गैर व्यावसायिक खेल कूद के मैदान, 4) ग्रामीण सामुदायिक केन्द्र, 5) पानी की टंकी 6) निस्तारी तालाब 7) पीने के पानी हेतु 4 इंच भूमिगत पाईप लाईन बिछाना 8) ग्रामीण क्षेत्रों में 22 के0व्ही0 विद्युत लाईन बिछाना	एक हेक्टेयर तक वनभूमि के व्यापवर्तन के प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट होगी बशर्ते :- A. कोई वृक्ष न कट रहा हो । B. वैकल्पिक वन भूमि उपलब्ध न हो । C. परियोजना का स्वरूप गैर वाणिज्यिक हो तथा शासन की योजना/आयोजनेत्तर योजना का भाग हो । D. आवेदित वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य का भाग न हो ।
(II) अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में बसे गांवों के पुर्नस्थापना हेतु वैकल्पिक वन भूमि ।	प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट ।
(III) वन क्षेत्रों में स्थित नदी/नालों से बोल्टर/रेत एकत्रित करना ।	इन प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट का प्रावधान है बशर्ते कि :- A. आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर स्थित हो । B. इस क्षेत्र में पूर्व से कोई खनन पट्टा स्वीकृत न हो । C. कार्यों जिसमें बोल्टर/रेत का विक्रय भी शामिल है का कियान्वयन शासकीय विभाग या शासन के उपक्रम या ईको विकास समितियों या संयुक्त वनप्रबंध समितियों द्वारा किया जाए । D. कार्य वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आवश्यक हो । E. बोल्टर/रेत के विक्रय से प्राप्त धनराशि का उपयोग वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए किया जाना हो ।
(IV) भूमिगत आस्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाना ।	इन प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट का प्रावधान है बशर्ते कि :- A. कोई वृक्ष नहीं कट रहा हो. B. आवेदित वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य का भाग न हो ।

(V) नए शासन व पूर्व के अतिरिक्तियों के नियमितकरण के लिए एवं वनग्रान्तों को राजस्व शासनों में परिवर्तन करने के प्रकरण ।	इन प्रकरणों में उत्तराखण्ड राज्य से हुए शासनादेश हैं जहाँ कि ये प्रकरण भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा-निर्देश दिनांक 18.05.1990 के तहत हैं ।
(VI) सुनिश्चित उत्खनन के प्रकरण ।	सुनिश्चित उत्खनन हेतु आवेदित वनक्षेत्र के ऊपर स्थित वनों हेतु निर्धारित प्रत्यक्ष मूल्य (NPV) का 50 प्रतिशत

उपरोक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है ।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

2001/-
(कौशलेन्द्र सिंह)
सचिव,

छ0ग0 शासन, वन विभाग
रायपुर दिनांक 21.05/2008

पृ0कमांक/एफ-7-8/2001/10-2
प्रतिलिपि

1. श्री सी.डी.सिंह, अतिरिक्त महानिरीक्षक (F.C.A.) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी.जी.ओ.काम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षे.) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड नं.-3 ई-5, रविशंकर नगर भोपाल (म.प्र.) ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, छत्तीसगढ़ ।
5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर ।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर ।
7. समस्त वन संरक्षक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

King
सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर (शाखा : भू-प्रबंध)

दूरभाष : 0771 - 2552232, ई मेल : ccflm_cg@yahoo.com

पृ0क0/भू-प्रबंध/विधि/ 1854
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 18/06/2008

1. समस्त वन संरक्षक छग
2. समस्त वन मण्डलाधिकारी छग
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध शाखा
4. इन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित ।

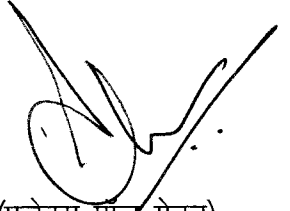
King
मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मेडिकल अधिकारी (एफ.सी. एक्ट, 1980)
छत्तीसगढ़, रायपुर

"A detailed onte on Siol productivity or the lack of it"

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,भोपाल का पत्र क्रमांक /FNo.2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011)

आवेदित क्षेत्र में भूमि की दसा प्रायः रेतीली दूमट/चिकनी/दूमट/कंकरीली/लाल लेटेराईट/जलोढ़ मिट्टी है। भूमि की दशा प्राकृतिक (GEO-ELOOGICAL) कारणों से है। 0.4 से 0.6 के मध्य घनत्व का धारित वन विद्यमान है। ग्राम से लगे होने के कारण पुनरुत्पादन पर्याप्त नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Promotion Society (CIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का
प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / FNo.2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011)

बस्तर डिविजन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा इस परियोजना हेतु द्वारा वन भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पूर्व कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

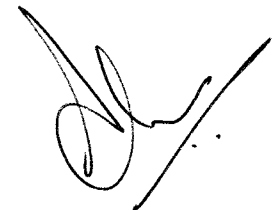
Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Promotion Society (CHIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposs under the forest (Conservation) Act 1980- stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vacational training Institute)

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,भोपाल का पत्र क्रमांक / FNo.11-9/1998-FC दिनांक 04.01.2011)

इस केटेगिरी के अन्तर्गत नहीं आता है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



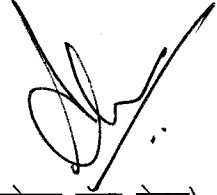
(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Promotion Society (CIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी)
का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में)

बस्तर डिविजन के अंतर्गत इस परियोजना हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अभिमत कि आवश्यकता नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)



(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Promotion Society (CIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001

विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एकस्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्रों विवरण

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / FNo.11-9/1998-FC दिनांक 24.05.2010)

बस्तर डिविजन के अंतर्गत इस परियोजना हेतु द्वारा ओ एफसी लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है अतः इस प्रपत्र की आवश्यकता नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

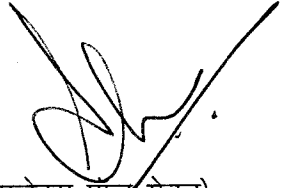

(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattiegarh infotech
Foundation Society (CIFS)
Civil Lines, Raipur - 492001

प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियो का विवरण

संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमंडल बस्तर
जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)


(एलेक्स पॉल मेनन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Chief Executive Officer
Chhattisgarh infotech
Education Society (CIES)
Civil Lines, Raipur - 492001

AREA STATEMENT OF FOREST LAND PROPOSED FOR DIVERSION							
BASTAR DIVISION							
Sr.No.	PATCH NUMBER	DIVISION	RANGE/TEHSIL	VILLAGE/COMPARTMENT	KHASRA/COMPARTMENT	TYPE OF LAND	DIVERSION AREA (in HA)
1	1	BASTAR	BHANPURI	Reserve Forest	1070P	Reserve Forest	0.103
2	2	BASTAR	BHANPURI	Reserve Forest	1086P	Reserve Forest	0.031
3	3 & 4	BASTAR	BASTAR	Reserve Forest	1427P	Reserve Forest	0.015
4	5	BASTAR	BASTAR	Reserve Forest	1428P	Reserve Forest	0.064
5	6 & 7 & 8 & 9	BASTAR	BAKAWAND	Reserve Forest	1334P	Reserve Forest	0.026
6	10	BASTAR	BAKAWAND	Reserve Forest	1333P	Reserve Forest	0.013
7	11 & 12	BASTAR	Tokapal	Dimrapal	210	Revenue Forest	0.026
8	13	BASTAR	Tokapal	Dimrapal	216	Revenue Forest	0.001
9	14	BASTAR	Tokapal	Bademarenga	371	Revenue Forest	0.003
10	15 & 16	BASTAR	Tokapal	Bademarenga	356	Revenue Forest	0.004
11	17	BASTAR	Tokapal	Telimarenga	195	Revenue Forest	0.001
12	18	BASTAR	Tokapal	Telimarenga	196	Revenue Forest	0.004
13	19	BASTAR	DARBHA	Protected Forest	1932P	Protected Forest	0.077
14		BASTAR	DARBHA	Reserve Forest	1932P	Reserve Forest	0.024
15	20	BASTAR	DARBHA	Reserve Forest	1944P	Reserve Forest	0.001
16		BASTAR	DARBHA	Reserve Forest	1959	Reserve Forest	0.145
17		BASTAR	KANGERGHATI NP	National Park	89	National Park	0.162
18		BASTAR	KANGERGHATI NP	National Park	165	National Park	0.133
19	21 & 22	BASTAR	DARBHA	Reserve Forest	1946P	Reserve Forest	0.014
20	23 & 24	BASTAR	DARBHA	Reserve Forest	1966	Reserve Forest	0.008
21	25	BASTAR	DARBHA	Reserve Forest	1967	Reserve Forest	0.014
22		BASTAR	DARBHA	Reserve Forest	1970	Reserve Forest	0.030
23		BASTAR	DARBHA	Reserve Forest	1972	Reserve Forest	0.031
24		BASTAR	DARBHA	Reserve Forest	1973	Reserve Forest	0.144
25		BASTAR	DARBHA	Reserve Forest	1974	Reserve Forest	0.078
26		BASTAR	DARBHA	Reserve Forest	1975	Reserve Forest	0.187
27		BASTAR	KOLENG	Reserve Forest	2029	Reserve Forest	0.020
28		BASTAR	KOLENG	Reserve Forest	2031	Reserve Forest	0.117
29		BASTAR	KOLENG	Reserve Forest	2032	Reserve Forest	0.006
30		BASTAR	KOLENG	Reserve Forest	2034	Reserve Forest	0.079
31	26	BASTAR	KOLENG	Reserve Forest	2024	Reserve Forest	0.011
32	27	BASTAR	Tokapal	Parpa	299	Revenue Forest	0.003
33		BASTAR	Tokapal	Parpa	300	Revenue Forest	0.006
34		BASTAR	Tokapal	Parpa	304	Revenue Forest	0.007
35	28	BASTAR	Tokapal	Bade Arapur	773	Revenue Forest	0.005
36	29 & 30	BASTAR	Tokapal	Bade Arapur	760	Revenue Forest	0.001
37	31	BASTAR	Tokapal	Bade Arapur	746	Revenue Forest	0.004
38		BASTAR	Tokapal	Bade Arapur	747	Revenue Forest	0.001
39		BASTAR	Tokapal	Bade Arapur	750	Revenue Forest	0.001
40	32	BASTAR	Tokapal	Bade Arapur	557	Revenue Forest	0.004
41	33	BASTAR	Tokapal	Bade Arapur	616	Revenue Forest	0.004
42		BASTAR	Tokapal	Bade Arapur	617	Revenue Forest	0.005
43	34	BASTAR	Tokapal	Erendwal	10	Revenue Forest	0.006
44		BASTAR	Tokapal	Erendwal	5	Revenue Forest	0.007
45		BASTAR	Tokapal	Erendwal	6	Revenue Forest	0.008
46		BASTAR	Tokapal	Erendwal	7	Revenue Forest	0.007
47	35	BASTAR	Tokapal	Raikote	382	Revenue Forest	0.006
48	36	BASTAR	CHITRAKOTE	Reserve Forest	1637P	Reserve Forest	0.044
49	37	BASTAR	Tokapal	Mandwa	3	Revenue Forest	0.001
50		BASTAR	Tokapal	Raikote	901	Revenue Forest	0.011
51	38	BASTAR	Tokapal	Mandwa	1	Revenue Forest	0.005
52		BASTAR	Tokapal	Mavleebhata	815	Revenue Forest	0.004
53	39	BASTAR	Tokapal	Mavleebhata	817	Revenue Forest	0.009
54		BASTAR	Tokapal	Mavleebhata	818	Revenue Forest	0.006
55	39 & 40	BASTAR	Tokapal	Mavleebhata	822	Revenue Forest	0.002
56	41 & 42	BASTAR	Tokapal	Mavleebhata	784	Revenue Forest	0.020
57	42	BASTAR	Tokapal	Mavleebhata	759	Revenue Forest	0.005
58	43	BASTAR	Tokapal	Mavleebhata	731	Revenue Forest	0.008
59	44	BASTAR	Tokapal	Mavleebhata	701	Revenue Forest	0.001
60	45	BASTAR	Tokapal	Mavleebhata	696	Revenue Forest	0.005
61	46	BASTAR	Tokapal	Mavleebhata	683	Revenue Forest	0.001
62	47	BASTAR	Tokapal	Mavleebhata	673	Revenue Forest	0.001
63	48	BASTAR	Tokapal	Mavleebhata	140	Revenue Forest	0.012
64	49	BASTAR	Tokapal	Mavleebhata	137	Revenue Forest	0.004
65	50 & 51 & 52 & 53	BASTAR	Tokapal	Gurram	225	Revenue Forest	0.008
66	51	BASTAR	Tokapal	Gurram	224	Revenue Forest	0.010
67		BASTAR	Tokapal	Gurram	58	Revenue Forest	0.010
68	54	BASTAR	Tokapal	Gurram	46	Revenue Forest	0.038
69	55 & 56	BASTAR	CHITRAKOTE	Reserve Forest	1672P	Reserve Forest	0.156
70	57	BASTAR	CHITRAKOTE	Reserve Forest	1670P	Reserve Forest	0.008
TOTAL AREA							2.014
Summary Of Forest And Non Forest Area							
Total Division Length (in KM)		Total Forest Patch Length (in KM)		OFC Cable Trench Width (in KM)		Total Forest Diversion Area (in HA)	
161.11		44.750		0.00045		2.014	
Total Protected & Reserved Forest & Orange Area (in HA)				Total Revenue Forest Area (in HA)		Non Forest Area (in HA)	
1.740				0.273		5.236	

Chief Executive Officer
 CHhattisgarh infotech
 Promotion Society (CIPPS)
 Civil Lines, Raipur - 492001

DGPS Survey Points

BASTAR DIVISION

Sr.No.	Poind ID	Patch No	UTM Coordinates		Geographical Coordinates	
			Easting (m)	Northing (m)	Latitude "N"	Longitude "E"
1	P1	Patch- 1	587764.181	2137267.652	19° 19' 38.695" N	81° 50' 7.761" E
2	P2		587857.576	2137150.343	19° 19' 34.864" N	81° 50' 10.942" E
3	P3		587950.679	2137032.736	19° 19' 31.023" N	81° 50' 14.113" E
4	P4		588043.482	2136914.902	19° 19' 27.175" N	81° 50' 17.274" E
5	P5		588135.803	2136796.679	19° 19' 23.315" N	81° 50' 20.418" E
6	P6		588228.135	2136678.464	19° 19' 19.455" N	81° 50' 23.562" E
7	P7		588320.214	2136560.055	19° 19' 15.588" N	81° 50' 26.698" E
8	P8		588411.963	2136441.388	19° 19' 11.713" N	81° 50' 29.822" E
9	P9		588503.618	2136322.647	19° 19' 7.836" N	81° 50' 32.943" E
10	P10		588595.302	2136203.929	19° 19' 3.959" N	81° 50' 36.065" E
11	P11		588687.175	2136085.357	19° 19' 0.088" N	81° 50' 39.193" E
12	P12		588779.231	2135966.927	19° 18' 56.220" N	81° 50' 42.328" E
13	P13		588871.287	2135848.497	19° 18' 52.353" N	81° 50' 45.462" E
14	P14		588962.872	2135729.703	19° 18' 48.474" N	81° 50' 48.581" E
15	P15		589054.465	2135610.914	19° 18' 44.595" N	81° 50' 51.699" E
16	P16		589116.777	2135530.163	19° 18' 41.958" N	81° 50' 53.821" E
17	P17		589176.401	2135453.054	19° 18' 39.440" N	81° 50' 55.851" E
18	P18	Patch- 2	591128.503	2132914.043	19° 17' 16.530" N	81° 52' 2.303" E
19	P19		591220.052	2132795.222	19° 17' 12.649" N	81° 52' 5.419" E
20	P20		591312.139	2132676.824	19° 17' 8.783" N	81° 52' 8.554" E
21	P21		591395.004	2132553.267	19° 17' 4.750" N	81° 52' 11.372" E
22	P22		591494.240	2132443.449	19° 17' 1.161" N	81° 52' 14.753" E
23	P23		591554.504	2132365.202	19° 16' 58.606" N	81° 52' 16.804" E
24	P24	Patch- 3	595636.889	2127248.616	19° 14' 11.478" N	81° 54' 35.742" E
25	P25		595721.467	2127124.766	19° 14' 7.435" N	81° 54' 38.616" E
26	P26		595807.213	2126994.065	19° 14' 3.169" N	81° 54' 41.529" E
27	P27	Patch- 4	595870.720	2126892.574	19° 13' 59.856" N	81° 54' 43.686" E
28	P28		595880.309	2126877.796	19° 13' 59.374" N	81° 54' 44.012" E
29	P29	Patch- 5	595985.498	2126346.858	19° 13' 42.084" N	81° 54' 47.519" E
30	P30		596057.365	2126215.357	19° 13' 37.794" N	81° 54' 49.956" E
31	P31		596128.473	2126083.283	19° 13' 33.485" N	81° 54' 52.368" E
32	P32		596200.429	2125951.669	19° 13' 29.192" N	81° 54' 54.808" E
33	P33		596272.197	2125819.953	19° 13' 24.894" N	81° 54' 57.242" E
34	P34		596344.358	2125688.452	19° 13' 20.604" N	81° 54' 59.690" E
35	P35		596416.471	2125556.926	19° 13' 16.313" N	81° 55' 2.136" E
36	P36		596508.471	2125439.875	19° 13' 12.490" N	81° 55' 5.265" E
37	P37		596605.047	2125329.106	19° 13' 8.870" N	81° 55' 8.396" E
38	P38		596717.227	2125231.407	19° 13' 5.672" N	81° 55' 11.527" E
39	P39		596767.373	2125181.206	19° 13' 4.031" N	81° 55' 14.084" E
40	P40	Patch- 6	607479.903	2115690.129	19° 7' 53.342" N	82° 1' 19.021" E
41	P41		607502.465	2115541.835	19° 7' 48.514" N	82° 1' 19.764" E
42	P42		607524.772	2115376.033	19° 7' 43.116" N	82° 1' 20.494" E

Chief Executive Officer
Civil Lines, Raipur

DGPS Survey Points

BASTAR DIVISION

Sr.No.	Point ID	Patch No	UTM Coordinates		Geographical Coordinates	
			Easting (m)	Northing (m)	Latitude "N"	Longitude "E"
43	P43	Patch- 7	607543.158	2115218.336	19° 7' 37.983" N	82° 1' 21.092" E
44	P44		607550.354	2115163.266	19° 7' 36.190" N	82° 1' 21.327" E
45	P45		607558.095	2115108.268	19° 7' 34.399" N	82° 1' 21.581" E
46	P46	Patch- 8	607563.510	2115066.100	19° 7' 33.027" N	82° 1' 21.758" E
47	P47		607569.517	2115017.161	19° 7' 31.433" N	82° 1' 21.954" E
48	P48	Patch- 9	607593.615	2114822.422	19° 7' 25.094" N	82° 1' 22.739" E
49	P49		607600.202	2114772.490	19° 7' 23.468" N	82° 1' 22.955" E
50	P50		607606.810	2114722.561	19° 7' 21.843" N	82° 1' 23.171" E
51	P51	Patch- 10	607654.161	2114379.949	19° 7' 10.689" N	82° 1' 24.723" E
52	P52		607673.211	2114231.178	19° 7' 5.846" N	82° 1' 25.345" E
53	P53		607692.182	2114089.918	19° 7' 1.247" N	82° 1' 25.966" E
54	P54	Patch- 11	599817.596	2106950.373	19° 3' 10.436" N	81° 56' 55.149" E
55	P55		599707.765	2106848.213	19° 3' 7.132" N	81° 56' 51.373" E
56	P56		599598.303	2106745.663	19° 3' 3.815" N	81° 56' 47.609" E
57	P57		599489.305	2106642.618	19° 3' 0.482" N	81° 56' 43.861" E
58	P58		599455.339	2106610.652	19° 2' 59.448" N	81° 56' 42.694" E
59	P59	Patch- 12	599451.525	2106607.088	19° 2' 59.332" N	81° 56' 42.562" E
60	P60		599425.832	2106582.902	19° 2' 58.550" N	81° 56' 41.679" E
61	P61		599400.045	2106558.817	19° 2' 57.771" N	81° 56' 40.792" E
62	P62	Patch- 13	598994.528	2106176.558	19° 2' 45.407" N	81° 56' 26.850" E
63	P63		598975.009	2106158.224	19° 2' 44.814" N	81° 56' 26.179" E
64	P64	Patch- 14	598297.715	2105518.545	19° 2' 24.122" N	81° 56' 2.893" E
65	P65		598270.269	2105492.347	19° 2' 23.274" N	81° 56' 1.949" E
66	P66		598243.162	2105465.803	19° 2' 22.416" N	81° 56' 1.017" E
67	P67	Patch- 15	598232.700	2105455.334	19° 2' 22.077" N	81° 56' 0.657" E
68	P68		598197.131	2105420.567	19° 2' 20.952" N	81° 55' 59.434" E
69	P69	Patch- 16	598174.904	2105372.204	19° 2' 19.382" N	81° 55' 58.665" E
70	P70		598147.005	2105333.840	19° 2' 18.139" N	81° 55' 57.704" E
71	P71	Patch- 17	597676.807	2104725.785	19° 1' 58.439" N	81° 55' 41.509" E
72	P72		597663.578	2104707.337	19° 1' 57.842" N	81° 55' 41.053" E
73	P73	Patch- 18	597658.380	2104700.108	19° 1' 57.607" N	81° 55' 40.874" E
74	P74		597632.376	2104664.189	19° 1' 56.443" N	81° 55' 39.978" E
75	P75		597605.670	2104628.790	19° 1' 55.296" N	81° 55' 39.058" E

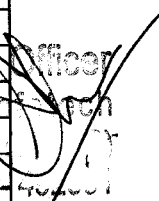
Chief Executive Officer

Civil Lines, Raipur

DGPS Survey Points

BASTAR DIVISION

Sr.No.	Poind ID	Patch No	UTM Coordinates		Geographical Coordinates	
			Easting (m)	Northing (m)	Latitude "N"	Longitude "E"
76	P76	Patch- 19	594643.819	2098097.444	18° 58' 23.322" N	81° 53' 56.602" E
77	P77		594542.465	2097988.804	18° 58' 19.805" N	81° 53' 53.118" E
78	P78		594462.759	2097862.752	18° 58' 15.717" N	81° 53' 50.370" E
79	P79		594397.511	2097727.706	18° 58' 11.335" N	81° 53' 48.115" E
80	P80		594332.017	2097592.765	18° 58' 6.956" N	81° 53' 45.853" E
81	P81		594266.273	2097457.956	18° 58' 2.581" N	81° 53' 43.581" E
82	P82		594200.534	2097323.149	18° 57' 58.206" N	81° 53' 41.310" E
83	P83		594180.173	2097179.080	18° 57' 53.523" N	81° 53' 40.589" E
84	P84		594223.758	2097035.565	18° 57' 48.847" N	81° 53' 42.054" E
85	P85		594270.464	2096893.024	18° 57' 44.202" N	81° 53' 43.626" E
86	P86		594314.691	2096749.699	18° 57' 39.532" N	81° 53' 45.114" E
87	P87		594353.539	2096645.815	18° 57' 36.146" N	81° 53' 46.424" E
88	P88		594396.587	2096562.172	18° 57' 33.418" N	81° 53' 47.881" E
89	P89	Patch- 20	594222.525	2093481.370	18° 55' 53.222" N	81° 53' 41.396" E
90	P90		594191.180	2093334.873	18° 55' 48.462" N	81° 53' 40.299" E
91	P91		594151.288	2093190.293	18° 55' 43.765" N	81° 53' 38.910" E
92	P92		594108.589	2093046.503	18° 55' 39.094" N	81° 53' 37.425" E
93	P93		594068.730	2092901.927	18° 55' 34.397" N	81° 53' 36.038" E
94	P94		594026.532	2092757.990	18° 55' 29.722" N	81° 53' 34.570" E
95	P95		594015.441	2092610.390	18° 55' 24.922" N	81° 53' 34.166" E
96	P96		594118.975	2092504.363	18° 55' 21.455" N	81° 53' 37.687" E
97	P97		594156.646	2092364.544	18° 55' 16.901" N	81° 53' 38.950" E
98	P98		594087.769	2092241.265	18° 55' 12.901" N	81° 53' 36.574" E
99	P99		594221.313	2092211.188	18° 55' 11.901" N	81° 53' 41.134" E
100	P100		594296.146	2092087.531	18° 55' 7.866" N	81° 53' 43.671" E
101	P101		594293.011	2091957.469	18° 55' 3.635" N	81° 53' 43.541" E
102	P102		594193.306	2091995.380	18° 55' 4.885" N	81° 53' 40.139" E
103	P103		594078.927	2091989.335	18° 55' 4.707" N	81° 53' 36.229" E
104	P104		593943.240	2092034.229	18° 55' 6.190" N	81° 53' 31.598" E
105	P105		593803.823	2092078.578	18° 55' 7.656" N	81° 53' 26.840" E
106	P106		593669.860	2092051.071	18° 55' 6.783" N	81° 53' 22.256" E
107	P107		593661.276	2091912.637	18° 55' 2.281" N	81° 53' 21.939" E
108	P108		593733.478	2091783.910	18° 54' 58.081" N	81° 53' 24.385" E
109	P109		593770.142	2091638.469	18° 54' 53.343" N	81° 53' 25.613" E
110	P110		593727.075	2091499.125	18° 54' 48.817" N	81° 53' 24.117" E
111	P111		593617.261	2091397.371	18° 54' 45.525" N	81° 53' 20.345" E
112	P112		593504.672	2091298.279	18° 54' 42.320" N	81° 53' 16.488" E
113	P113		593363.662	2091268.560	18° 54' 41.376" N	81° 53' 14.658" E
114	P114		593213.706	2091271.290	18° 54' 41.489" N	81° 53' 6.529" E
115	P115		593063.722	2091271.938	18° 54' 41.535" N	81° 53' 1.403" E
116	P116		592913.834	2091277.486	18° 54' 41.740" N	81° 52' 56.280" E
117	P117		592771.433	2091242.231	18° 54' 40.616" N	81° 52' 51.407" E
118	P118		592638.653	2091172.510	18° 54' 38.369" N	81° 52' 46.856" E
119	P119		592537.627	2091062.492	18° 54' 34.806" N	81° 52' 43.384" E
120	P120		592440.864	2090947.882	18° 54' 31.094" N	81° 52' 40.057" E
121	P121		592412.761	2090811.264	18° 54' 26.654" N	81° 52' 39.073" E
122	P122		592452.644	2090666.666	18° 54' 21.943" N	81° 52' 40.412" E


 Officer
 Civil Lines, Raipur

DGPS Survey Points

BASTAR DIVISION

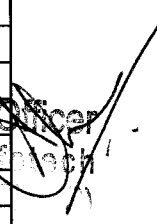
Sr.No.	Poind ID	Patch No	UTM Coordinates		Geographical Coordinates	
			Easting (m)	Northing (m)	Latitude "N"	Longitude "E"
123	P123	Patch- 20	592495.408	2090522.985	18° 54' 17.262" N	81° 52' 41.849" E
124	P124		592555.119	2090385.399	18° 54' 12.776" N	81° 52' 43.867" E
125	P125		592614.858	2090247.840	18° 54' 8.292" N	81° 52' 45.885" E
126	P126		592673.705	2090109.890	18° 54' 3.794" N	81° 52' 47.873" E
127	P127		592685.438	2089960.843	18° 53' 58.943" N	81° 52' 48.249" E
128	P128		592694.214	2089811.130	18° 53' 54.072" N	81° 52' 48.523" E
129	P129		592783.992	2089698.141	18° 53' 50.381" N	81° 52' 51.573" E
130	P130		592730.555	2089573.133	18° 53' 46.323" N	81° 52' 49.725" E
131	P131		592709.011	2089490.555	18° 53' 43.640" N	81° 52' 48.975" E
132	P132		592671.501	2089386.065	18° 53' 40.247" N	81° 52' 47.675" E
133	P133		592781.683	2089289.485	18° 53' 37.087" N	81° 52' 51.424" E
134	P134		592702.761	2089165.227	18° 53' 33.058" N	81° 52' 48.706" E
135	P135		592664.185	2089022.566	18° 53' 28.423" N	81° 52' 47.363" E
136	P136		592715.991	2088887.630	18° 53' 24.025" N	81° 52' 49.111" E
137	P137		592658.672	2088782.597	18° 53' 20.617" N	81° 52' 47.134" E
138	P138		592511.138	2088781.123	18° 53' 20.593" N	81° 52' 42.091" E
139	P139		592382.125	2088727.088	18° 53' 18.856" N	81° 52' 37.673" E
140	P140		592280.425	2088616.841	18° 53' 15.286" N	81° 52' 34.178" E
141	P141		592178.149	2088507.140	18° 53' 11.733" N	81° 52' 30.664" E
142	P142		592076.438	2088396.937	18° 53' 8.164" N	81° 52' 27.169" E
143	P143		591973.464	2088287.876	18° 53' 4.633" N	81° 52' 23.632" E
144	P144		591911.167	2088160.522	18° 53' 0.500" N	81° 52' 21.481" E
145	P145		591943.012	2088019.996	18° 52' 55.923" N	81° 52' 22.546" E
146	P146		591841.115	2087912.548	18° 52' 52.444" N	81° 52' 19.045" E
147	P147		591779.374	2087778.536	18° 52' 48.094" N	81° 52' 16.913" E
148	P148		591750.617	2087631.329	18° 52' 43.310" N	81° 52' 15.905" E
149	P149		591723.569	2087483.793	18° 52' 38.514" N	81° 52' 14.956" E
150	P150		591693.975	2087336.749	18° 52' 33.735" N	81° 52' 13.920" E
151	P151		591665.277	2087189.528	18° 52' 28.950" N	81° 52' 12.914" E
152	P152		591624.599	2087045.417	18° 52' 24.269" N	81° 52' 11.500" E
153	P153	591625.441	2086898.788	18° 52' 19.498" N	81° 52' 11.504" E	
154	P154	591611.602	2086719.496	18° 52' 13.668" N	81° 52' 11.001" E	
155	P155	Patch- 21	591494.735	2085758.806	18° 51' 42.433" N	81° 52' 6.846" E
156	P156		591465.506	2085640.019	18° 51' 38.573" N	81° 52' 5.828" E
157	P157		591436.112	2085524.766	18° 51' 34.828" N	81° 52' 4.804" E
158	P158	Patch- 22	591413.146	2085434.876	18° 51' 31.908" N	81° 52' 4.004" E
159	P159		591405.060	2085404.331	18° 51' 30.915" N	81° 52' 3.723" E
160	P160		591397.830	2085373.572	18° 51' 29.916" N	81° 52' 3.470" E
161	P161	Patch- 23	591345.852	2085154.031	18° 51' 22.782" N	81° 52' 1.658" E
162	P162		591347.048	2085105.532	18° 51' 21.204" N	81° 52' 1.690" E
163	P163		591325.071	2085062.073	18° 51' 19.794" N	81° 52' 0.932" E
164	P164	Patch- 24	591279.945	2084894.493	18° 51' 14.349" N	81° 51' 59.362" E
165	P165		591281.187	2084858.740	18° 51' 13.186" N	81° 51' 59.399" E
166	P166		591261.254	2084828.956	18° 51' 12.220" N	81° 51' 58.712" E

Chief Executive Officer
Bastar Division
Civil Lines, Raipur

DGPS Survey Points

BASTAR DIVISION

Sr.No.	Poind ID	Patch No	UTM Coordinates		Geographical Coordinates	
			Easting (m)	Northing (m)	Latitude "N"	Longitude "E"
167	P167	Patch- 25	591245.746	2084786.491	18° 51' 10.841" N	81° 51' 58.175" E
168	P168		591276.683	2084644.994	18° 51' 6.233" N	81° 51' 59.209" E
169	P169		591291.686	2084498.114	18° 51' 1.452" N	81° 51' 59.697" E
170	P170		591284.940	2084348.280	18° 50' 56.579" N	81° 51' 59.442" E
171	P171		591280.722	2084205.026	18° 50' 51.919" N	81° 51' 59.273" E
172	P172		591328.090	2084069.760	18° 50' 47.511" N	81° 52' 0.869" E
173	P173		591452.402	2083989.473	18° 50' 44.879" N	81° 52' 5.104" E
174	P174		591552.680	2083888.468	18° 50' 41.577" N	81° 52' 8.513" E
175	P175		591674.168	2083806.204	18° 50' 38.881" N	81° 52' 12.650" E
176	P176		591800.764	2083828.230	18° 50' 39.578" N	81° 52' 16.980" E
177	P177		591896.753	2083726.002	18° 50' 36.237" N	81° 52' 20.242" E
178	P178		591928.764	2083613.530	18° 50' 32.573" N	81° 52' 21.317" E
179	P179		591937.395	2083519.359	18° 50' 29.508" N	81° 52' 21.596" E
180	P180		591942.679	2083411.004	18° 50' 25.982" N	81° 52' 21.759" E
181	P181		591834.113	2083484.970	18° 50' 28.405" N	81° 52' 18.062" E
182	P182		591693.241	2083456.870	18° 50' 27.514" N	81° 52' 13.244" E
183	P183		591553.283	2083404.325	18° 50' 25.827" N	81° 52' 8.453" E
184	P184		591409.732	2083389.756	18° 50' 25.376" N	81° 52' 3.545" E
185	P185		591313.410	2083281.371	18° 50' 21.865" N	81° 52' 0.236" E
186	P186		591164.711	2083286.357	18° 50' 22.051" N	81° 51' 55.156" E
187	P187		591062.562	2083179.145	18° 50' 18.579" N	81° 51' 51.648" E
188	P188		591153.136	2083073.285	18° 50' 15.121" N	81° 51' 54.725" E
189	P189		591169.981	2082954.251	18° 50' 11.246" N	81° 51' 55.281" E
190	P190		591206.263	2082865.898	18° 50' 8.365" N	81° 51' 56.506" E
191	P191		591237.003	2082795.559	18° 50' 6.072" N	81° 51' 57.545" E
192	P192		591247.476	2082696.276	18° 50' 2.841" N	81° 51' 57.886" E
193	P193		591194.314	2082571.832	18° 49' 58.801" N	81° 51' 56.049" E
194	P194		591096.491	2082518.549	18° 49' 57.083" N	81° 51' 52.698" E
195	P195		591049.884	2082392.487	18° 49' 52.989" N	81° 51' 51.084" E
196	P196		591050.748	2082245.066	18° 49' 48.193" N	81° 51' 51.089" E
197	P197		591005.856	2082128.698	18° 49' 44.414" N	81° 51' 49.536" E
198	P198		590992.821	2081982.948	18° 49' 39.675" N	81° 51' 49.066" E
199	P199		590902.883	2081882.941	18° 49' 36.435" N	81° 51' 45.977" E
200	P200		590804.331	2081843.125	18° 49' 35.156" N	81° 51' 42.603" E
201	P201		590771.506	2081788.533	18° 49' 33.385" N	81° 51' 41.473" E
202	P202		590721.133	2081651.851	18° 49' 28.946" N	81° 51' 39.729" E
203	P203		590623.318	2081538.311	18° 49' 25.268" N	81° 51' 36.369" E
204	P204		590545.814	2081409.993	18° 49' 21.106" N	81° 51' 33.700" E
205	P205		590483.106	2081274.452	18° 49' 16.706" N	81° 51' 31.535" E
206	P206		590460.061	2081128.197	18° 49' 11.951" N	81° 51' 30.723" E
207	P207		590408.782	2080994.411	18° 49' 7.607" N	81° 51' 29.049" E
208	P208		590470.251	2080860.510	18° 49' 3.241" N	81° 51' 31.027" E
209	P209		590563.397	2080743.011	18° 48' 59.404" N	81° 51' 34.190" E
210	P210		590614.596	2080607.705	18° 48' 54.904" N	81° 51' 35.917" E
211	P211		590607.159	2080489.415	18° 48' 51.147" N	81° 51' 35.643" E
212	P212		590591.040	2080370.899	18° 48' 47.294" N	81° 51' 35.073" E
213	P213		590596.584	2080282.460	18° 48' 44.416" N	81° 51' 35.248" E
214	P214		590702.521	2080191.779	18° 48' 41.449" N	81° 51' 38.852" E


 S. N. Prasad
 District Survey Officer
 Bastar Division
 Raipur

DGPS Survey Points

BASTAR DIVISION

Sr.No.	Poind ID	Patch No	UTM Coordinates		Geographical Coordinates	
			Easting (m)	Northing (m)	Latitude "N"	Longitude "E"
215	P215	Patch- 25	590815.103	2080121.513	18° 48' 39.145" N	81° 51' 42.686" E
216	P216		590808.271	2079977.705	18° 48' 34.468" N	81° 51' 42.429" E
217	P217		590939.585	2079929.687	18° 48' 32.885" N	81° 51' 46.907" E
218	P218		591074.575	2079923.668	18° 48' 32.668" N	81° 51' 51.517" E
219	P219		591176.343	2079832.826	18° 48' 29.697" N	81° 51' 54.979" E
220	P220		591319.889	2079837.947	18° 48' 29.840" N	81° 51' 59.883" E
221	P221		591430.892	2079751.863	18° 48' 27.022" N	81° 52' 3.661" E
222	P222		591409.599	2079611.529	18° 48' 22.460" N	81° 52' 2.910" E
223	P223		591262.850	2079603.000	18° 48' 22.206" N	81° 51' 57.896" E
224	P224		591113.607	2079600.278	18° 48' 22.141" N	81° 51' 52.797" E
225	P225		590964.346	2079599.133	18° 48' 22.127" N	81° 51' 47.698" E
226	P226		590819.353	2079633.206	18° 48' 23.259" N	81° 51' 42.750" E
227	P227		590693.426	2079693.888	18° 48' 25.253" N	81° 51' 38.459" E
228	P228		590683.133	2079610.836	18° 48' 22.553" N	81° 51' 38.093" E
229	P229		590652.571	2079466.870	18° 48' 17.874" N	81° 51' 37.025" E
230	P230		590582.686	2079335.935	18° 48' 13.625" N	81° 51' 34.616" E
231	P231		590548.002	2079190.301	18° 48' 8.893" N	81° 51' 33.408" E
232	P232		590460.384	2079083.765	18° 48' 5.441" N	81° 51' 30.397" E
233	P233		590324.365	2079074.794	18° 48' 5.170" N	81° 51' 25.749" E
234	P234		590200.980	2078997.613	18° 48' 2.679" N	81° 51' 21.521" E
235	P235		590056.157	2078958.775	18° 48' 1.438" N	81° 51' 16.568" E
236	P236		589928.389	2078883.574	18° 47' 59.011" N	81° 51' 12.191" E
237	P237		589892.208	2078739.858	18° 47' 54.341" N	81° 51' 10.932" E
238	P238		589898.458	2078593.073	18° 47' 49.565" N	81° 51' 11.121" E
239	P239		589943.950	2078451.412	18° 47' 44.949" N	81° 51' 12.652" E
240	P240		589975.147	2078309.004	18° 47' 40.312" N	81° 51' 13.694" E
241	P241		589933.438	2078164.941	18° 47' 35.631" N	81° 51' 12.246" E
242	P242		589859.929	2078037.188	18° 47' 31.487" N	81° 51' 9.714" E
243	P243		589739.510	2077947.825	18° 47' 28.598" N	81° 51' 5.586" E
244	P244		589620.922	2077855.996	18° 47' 25.629" N	81° 51' 1.520" E
245	P245		589499.932	2077767.410	18° 47' 22.766" N	81° 50' 57.373" E
246	P246		589380.518	2077677.926	18° 47' 19.873" N	81° 50' 53.279" E
247	P247		589254.981	2077597.863	18° 47' 17.288" N	81° 50' 48.978" E
248	P248		589107.969	2077568.237	18° 47' 16.347" N	81° 50' 43.952" E
249	P249		588961.428	2077536.848	18° 47' 15.349" N	81° 50' 38.941" E
250	P250		588832.498	2077460.513	18° 47' 12.885" N	81° 50' 34.525" E
251	P251		588710.332	2077374.092	18° 47' 10.092" N	81° 50' 30.338" E
252	P252		588620.848	2077253.778	18° 47' 6.192" N	81° 50' 27.262" E
253	P253		588514.242	2077151.359	18° 47' 2.876" N	81° 50' 23.604" E
254	P254		588381.786	2077081.011	18° 47' 0.608" N	81° 50' 19.069" E
255	P255		588328.154	2076946.258	18° 46' 56.232" N	81° 50' 17.215" E
256	P256		588265.200	2076810.850	18° 46' 51.837" N	81° 50' 15.043" E
257	P257		588163.454	2076701.392	18° 46' 48.291" N	81° 50' 11.550" E
258	P258		588052.820	2076600.146	18° 46' 45.044" N	81° 50' 7.765" E
259	P259		587938.993	2076502.467	18° 46' 41.854" N	81° 50' 3.852" E
260	P260		587825.700	2076404.169	18° 46' 38.673" N	81° 49' 59.967" E
261	P261		587694.939	2076333.270	18° 46' 36.387" N	81° 49' 55.489" E
262	P262		587553.526	2076283.807	18° 46' 34.799" N	81° 49' 50.651" E

DGPS Survey Points

BASTAR DIVISION

Sr.No.	Poind ID	Patch No	UTM Coordinates		Geographical Coordinates	
			Easting (m)	Northing (m)	Latitude "N"	Longitude "E"
263	P263	Patch- 25	587405.577	2076259.293	18° 46' 34.024" N	81° 49' 45.594" E
264	P264		587274.361	2076192.384	18° 46' 31.867" N	81° 49' 41.102" E
265	P265		587147.598	2076115.799	18° 46' 29.395" N	81° 49' 36.760" E
266	P266		586999.344	2076110.776	18° 46' 29.254" N	81° 49' 31.695" E
267	P267		586850.420	2076121.009	18° 46' 29.609" N	81° 49' 26.611" E
268	P268		586701.667	2076101.980	18° 46' 29.012" N	81° 49' 21.527" E
269	P269		586557.720	2076072.116	18° 46' 28.062" N	81° 49' 16.606" E
270	P270		586466.426	2075955.527	18° 46' 24.283" N	81° 49' 13.469" E
271	P271		586419.073	2075844.797	18° 46' 20.688" N	81° 49' 11.834" E
272	P272		586383.610	2075763.695	18° 46' 18.055" N	81° 49' 10.610" E
273	P273	Patch- 26	585753.784	2074279.054	18° 45' 29.848" N	81° 48' 48.867" E
274	P274		585716.994	2074159.229	18° 45' 25.956" N	81° 48' 47.592" E
275	P275		585677.349	2074043.742	18° 45' 22.204" N	81° 48' 46.220" E
276	P276	Patch- 27	592359.659	2102382.428	19° 0' 43.095" N	81° 52' 39.226" E
277	P277		592248.136	2102394.494	19° 0' 43.506" N	81° 52' 35.414" E
278	P278		592129.256	2102379.351	19° 0' 43.032" N	81° 52' 31.346" E
279	P279		592019.928	2102362.838	19° 0' 42.513" N	81° 52' 27.603" E
280	P280	Patch- 28	591929.696	2102348.368	19° 0' 42.057" N	81° 52' 24.515" E
281	P281		591875.631	2102339.774	19° 0' 41.786" N	81° 52' 22.664" E
282	P282		591821.557	2102331.243	19° 0' 41.517" N	81° 52' 20.813" E
283	P283	Patch- 29	591544.595	2102286.911	19° 0' 40.119" N	81° 52' 11.333" E
284	P284		591527.405	2102284.133	19° 0' 40.032" N	81° 52' 10.744" E
285	P285	Patch- 30	591361.863	2102257.713	19° 0' 39.199" N	81° 52' 5.078" E
286	P286		591349.411	2102255.862	19° 0' 39.141" N	81° 52' 4.652" E
287	P287	Patch- 31	591240.569	2102239.339	19° 0' 38.621" N	81° 52' 0.926" E
288	P288		591173.805	2102228.703	19° 0' 38.285" N	81° 51' 58.641" E
289	P289		591107.074	2102217.860	19° 0' 37.943" N	81° 51' 56.357" E
290	P290	Patch- 32	590630.332	2102128.356	19° 0' 35.108" N	81° 51' 40.036" E
291	P291		590587.692	2102121.836	19° 0' 34.902" N	81° 51' 38.577" E
292	P292		590545.201	2102114.436	19° 0' 34.668" N	81° 51' 37.122" E
293	P293	Patch- 33	590347.058	2102072.744	19° 0' 33.344" N	81° 51' 30.338" E
294	P294		590246.340	2102069.034	19° 0' 33.449" N	81° 51' 28.863" E
295	P295		590143.071	2102074.987	19° 0' 33.449" N	81° 51' 28.863" E
296	P296	Patch- 34	590058.670	2102080.318	19° 0' 33.636" N	81° 51' 20.476" E
297	P297		589908.949	2102089.438	19° 0' 33.956" N	81° 51' 15.357" E
298	P298		589759.251	2102098.946	19° 0' 34.289" N	81° 51' 10.238" E
299	P299		589609.562	2102108.593	19° 0' 34.626" N	81° 51' 5.120" E
300	P300		589445.509	2102118.657	19° 0' 34.980" N	81° 50' 59.511" E

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

DGPS Survey Points

BASTAR DIVISION

Sr.No.	Poind ID	Patch No	UTM Coordinates		Geographical Coordinates	
			Easting (m)	Northing (m)	Latitude "N"	Longitude "E"
301	P301	Patch- 35	586971.950	2102543.321	19° 0' 49.178" N	81° 49' 34.977" E
302	P302		586910.805	2102546.644	19° 0' 49.296" N	81° 49' 32.886" E
303	P303		586849.637	2102549.499	19° 0' 49.398" N	81° 49' 30.794" E
304	P304	Patch- 36	586399.332	2102547.153	19° 0' 49.390" N	81° 49' 15.392" E
305	P305		586254.265	2102509.019	19° 0' 48.172" N	81° 49' 10.424" E
306	P306		586109.113	2102471.199	19° 0' 46.963" N	81° 49' 5.453" E
307	P307		585963.828	2102433.890	19° 0' 45.771" N	81° 49' 0.478" E
308	P308		585818.691	2102396.007	19° 0' 44.561" N	81° 48' 55.508" E
309	P309		585673.613	2102357.900	19° 0' 43.343" N	81° 48' 50.539" E
310	P310		585528.407	2102320.282	19° 0' 42.141" N	81° 48' 45.567" E
311	P311		585443.041	2102298.180	19° 0' 41.435" N	81° 48' 42.644" E
312	P312	Patch- 37	585378.103	2102282.065	19° 0' 40.920" N	81° 48' 40.420" E
313	P313		585233.079	2102243.752	19° 0' 39.696" N	81° 48' 35.454" E
314	P314		585111.806	2102212.410	19° 0' 38.694" N	81° 48' 31.301" E
315	P315	Patch- 38	585101.178	2102209.729	19° 0' 38.609" N	81° 48' 30.937" E
316	P316		585006.907	2102185.946	19° 0' 37.849" N	81° 48' 27.709" E
317	P317		584914.353	2102162.430	19° 0' 37.098" N	81° 48' 24.540" E
318	P318	Patch- 39	584822.466	2102138.998	19° 0' 36.349" N	81° 48' 21.393" E
319	P319		584696.574	2102105.254	19° 0' 35.270" N	81° 48' 17.082" E
320	P320		584579.198	2102073.528	19° 0' 34.256" N	81° 48' 13.062" E
321	P321		584479.667	2102047.611	19° 0' 33.427" N	81° 48' 9.654" E
322	P322	Patch- 40	584454.435	2102041.041	19° 0' 33.217" N	81° 48' 8.790" E
323	P323		584427.033	2102033.813	19° 0' 32.986" N	81° 48' 7.852" E
324	P324	Patch- 41	584080.626	2101941.145	19° 0' 30.023" N	81° 47' 55.989" E
325	P325		584059.319	2101935.564	19° 0' 29.844" N	81° 47' 55.260" E
326	P326	Patch- 42	584054.801	2101934.380	19° 0' 29.806" N	81° 47' 55.105" E
327	P327		583909.699	2101896.361	19° 0' 28.591" N	81° 47' 50.136" E
328	P328		583764.773	2101857.694	19° 0' 27.354" N	81° 47' 45.173" E
329	P329		583620.051	2101818.259	19° 0' 26.093" N	81° 47' 40.217" E
330	P330		583551.778	2101799.920	19° 0' 25.506" N	81° 47' 37.879" E
331	P331	Patch- 43	583440.996	2101770.690	19° 0' 24.572" N	81° 47' 34.085" E
332	P332		583353.059	2101747.146	19° 0' 23.818" N	81° 47' 31.075" E
333	P333		583271.760	2101725.410	19° 0' 23.123" N	81° 47' 28.291" E
334	P334	Patch- 44	583130.238	2101687.168	19° 0' 21.900" N	81° 47' 23.444" E
335	P335		583108.699	2101681.303	19° 0' 21.712" N	81° 47' 22.707" E
336	P336	Patch- 45	582492.166	2101512.099	19° 0' 16.297" N	81° 47' 1.594" E
337	P337		582443.071	2101498.275	19° 0' 15.855" N	81° 46' 59.913" E
338	P338		582393.962	2101484.498	19° 0' 15.414" N	81° 46' 58.231" E

Chief Executive Officer

Civil Lines, Raipur - 492001

DGPS Survey Points

BASTAR DIVISION

Sr.No.	Poind ID	Patch No	UTM Coordinates		Geographical Coordinates	
			Easting (m)	Northing (m)	Latitude "N"	Longitude "E"
339	P339	Patch- 46	582361.643	2101475.691	19° 0' 15.132" N	81° 46' 57.124" E
340	P340		582330.627	2101467.100	19° 0' 14.857" N	81° 46' 56.062" E
341	P341	Patch- 47	581714.501	2101284.698	19° 0' 9.011" N	81° 46' 34.962" E
342	P342		581701.722	2101279.405	19° 0' 8.841" N	81° 46' 34.524" E
343	P343	Patch- 48	581290.369	2101104.853	19° 0' 3.221" N	81° 46' 20.429" E
344	P344		581152.091	2101046.725	19° 0' 1.350" N	81° 46' 15.691" E
345	P345		581045.983	2101001.620	18° 59' 59.898" N	81° 46' 12.055" E
346	P346	Patch- 49	580979.481	2100973.387	18° 59' 58.989" N	81° 46' 9.777" E
347	P347		580938.867	2100956.108	18° 59' 58.432" N	81° 46' 8.385" E
348	P348		580898.172	2100939.019	18° 59' 57.882" N	81° 46' 6.991" E
349	P349	Patch- 50	576100.848	2100705.207	18° 59' 50.937" N	81° 43' 22.883" E
350	P350		576051.926	2100706.250	18° 59' 50.977" N	81° 43' 21.210" E
351	P351		576003.007	2100707.368	18° 59' 51.020" N	81° 43' 19.537" E
352	P352	Patch- 51	575838.404	2100711.325	18° 59' 51.171" N	81° 43' 13.908" E
353	P353		575688.427	2100713.883	18° 59' 51.274" N	81° 43' 8.779" E
354	P354		575538.466	2100717.172	18° 59' 51.401" N	81° 43' 3.651" E
355	P355		575403.235	2100719.739	18° 59' 51.503" N	81° 42' 59.026" E
356	P356	Patch- 52	575266.026	2100722.368	18° 59' 51.606" N	81° 42' 54.334" E
357	P357		575227.849	2100723.239	18° 59' 51.640" N	81° 42' 53.028" E
358	P358		575189.677	2100724.251	18° 59' 51.678" N	81° 42' 51.723" E
359	P359	Patch- 53	575145.196	2100725.404	18° 59' 51.721" N	81° 42' 50.202" E
360	P360		575136.733	2100725.597	18° 59' 51.728" N	81° 42' 49.912" E
361	P361	Patch- 54	575131.586	2100725.707	18° 59' 51.733" N	81° 42' 49.736" E
362	P362		574981.624	2100729.034	18° 59' 51.861" N	81° 42' 44.608" E
363	P363		574831.658	2100732.213	18° 59' 51.984" N	81° 42' 39.479" E
364	P364		574681.697	2100735.565	18° 59' 52.113" N	81° 42' 34.351" E
365	P365		574531.731	2100738.733	18° 59' 52.235" N	81° 42' 29.222" E
366	P366		574381.787	2100742.757	18° 59' 52.386" N	81° 42' 24.094" E
367	P367		574291.291	2100746.834	18° 59' 52.530" N	81° 42' 21.000" E
368	P368	Patch- 55	560363.492	2098134.287	18° 58' 29.180" N	81° 34' 24.353" E
369	P369		560215.391	2098132.410	18° 58' 29.135" N	81° 34' 19.288" E
370	P370		560088.860	2098053.462	18° 58' 26.580" N	81° 34' 14.953" E
371	P371		559962.738	2097977.452	18° 58' 24.120" N	81° 34' 10.631" E
372	P372		559876.188	2098093.292	18° 58' 27.898" N	81° 34' 7.684" E
373	P373		559810.738	2098227.479	18° 58' 32.270" N	81° 34' 5.461" E
374	P374		559683.470	2098252.523	18° 58' 33.099" N	81° 34' 1.111" E
375	P375		559612.197	2098125.012	18° 58' 28.958" N	81° 33' 58.660" E
376	P376		559482.693	2098049.568	18° 58' 26.517" N	81° 33' 54.223" E

Chief Executive Officer

Secretary

Joint Secretary

Deputy Secretary

Assistant Secretary

Joint Assistant Secretary

Deputy Assistant Secretary

DGPS Survey Points

BASTAR DIVISION

Sr.No.	Poind ID	Patch No	UTM Coordinates		Geographical Coordinates	
			Easting (m)	Northing (m)	Latitude "N"	Longitude "E"
377	P377	Patch- 55	559343.075	2098026.056	18° 58' 25.766" N	81° 33' 49.446" E
378	P378		559206.074	2098077.008	18° 58' 27.438" N	81° 33' 44.766" E
379	P379		559072.989	2098145.061	18° 58' 29.666" N	81° 33' 40.223" E
380	P380		558925.871	2098124.876	18° 58' 29.025" N	81° 33' 35.189" E
381	P381		558788.646	2098107.808	18° 58' 28.483" N	81° 33' 30.495" E
382	P382		558706.305	2098021.426	18° 58' 25.682" N	81° 33' 27.670" E
383	P383		558765.720	2097889.321	18° 58' 21.377" N	81° 33' 29.687" E
384	P384		558786.476	2097740.786	18° 58' 16.543" N	81° 33' 30.381" E
385	P385		558805.007	2097591.948	18° 58' 11.699" N	81° 33' 30.998" E
386	P386		558740.067	2097470.756	18° 58' 7.762" N	81° 33' 28.764" E
387	P387		558601.999	2097427.963	18° 58' 6.384" N	81° 33' 24.038" E
388	P388		558453.906	2097404.886	18° 58' 5.649" N	81° 33' 18.972" E
389	P389		558306.292	2097418.087	18° 58' 6.093" N	81° 33' 13.925" E
390	P390		558157.951	2097440.120	18° 58' 6.825" N	81° 33' 8.855" E
391	P391		558074.841	2097434.835	18° 58' 6.662" N	81° 33' 6.012" E
392	P392	Patch- 56	557913.889	2097403.685	18° 58' 5.665" N	81° 33' 0.505" E
393	P393		557869.398	2097393.567	18° 58' 5.340" N	81° 32' 58.983" E
394	P394		557833.230	2097365.973	18° 58' 4.446" N	81° 32' 57.743" E
395	P395	Patch- 57	552603.295	2097219.353	18° 58' 0.182" N	81° 29' 58.884" E
396	P396		552529.545	2097263.639	18° 58' 1.630" N	81° 29' 56.366" E
397	P397		552441.378	2097288.675	18° 58' 2.452" N	81° 29' 53.354" E


Chief Executive Officer
 Chhattisgarh infotech
 Education Society (CIES)
 New Times, Raipur - 492001



कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक २३१०/मुकाअ/चिप्स/2017

रायपुर, दिनांक 19 /12/2017

वन भूमि आवश्यक प्रमाण-पत्र

—000—

प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा बस्तर डीविजन के अंतर्गत कुल 161.110 किलोमीटर मुख्य सड़क के समानान्तर ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के कार्य में प्रभावित 2.014 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यक मांग है तथा इसके लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स

Chief Executive Officer
CHhattisgarh infotech
Promotion Society (CHIPS)
Civil Lines, Raipur - 492001